'कर्मचारी संघ जिन्दाबाद' ।। संघे शक्ति कलयुगे ।। 'महासंघ जिन्दाबाद'

स्थापित-1982

बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ

पटना- 800005 (बिहार)
(अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ, नई दिल्ली)
पंजीयन-97/82

प्रदेश अध्यक्ष
शंकर यादव
एल.एन.एम.यू, दरभंगा।
मो0- 9430996453 / 8271191632

प्रदेश कार्यालय-अखिलेश नगर, पश्चिमी रोड नं0-2,
थाना-बाइपास, पोस्ट-झाउगंज, पटना-800006, मो-7543042345
Email-info@bsuef.org
website: www.bsuef.org

प्रदेश महासचिव
राघवेन्द्र कुमार
बी0आर0ए0बी0यू0, मुजफ्फरपुर
मो0-9973358168

उपाध्यक्ष

डॉ० दीलिप कुमार गुप्ता
पटना विश्वविद्यालय, पटना
मो0- +91-7631696569

डॉ० सरोज कुमार सिंह
जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा
मो- +91- 9939745814

कोषाध्यक्ष

जनाब मंजर इमाम
वी० कुँ० सिंह विश्वविद्यालय, आरा
मो०- +91- 9931062586

संगठन मंत्री

डॉ० दिनेश कुमार दिनकर
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया
मो0- +91-9308596371

सुनील कुमार सिंह
कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय
दरभंगा
मो0- +91-9472698751/7979897929

रंजन कुमार
बी.आर.ए.बी.यू, मुजफ्फरपुर
मो.- +91- 9472003662

डॉ० राजेश्वर राय
बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा
मो०- +91-9431413716

डॉ० रविन्द्र कुमार मिश्र
कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय
दरभंगा । मो0- +91- 8797275807

सुरेश कुमार चौधरी
तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर
मो०- +91-9973542172

प्रवक्ता

गौरव
बी.आर.ए.बी.यू., मुजफ्फरपुर
मो०- +91-9123469271

मो० नसीम अख्तर
सह प्रवक्ता (पटना क्षेत्र)
मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय
पटना, मो०- +91-7250267712

संयुक्त कोषाध्यक्ष

सैय्यद शाहिद नक़वी
मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय
पटना, मो०- +91-7488449803

पत्रांक BSP/2022/213/Patna ① दिनांक 06/01/2022

सेवा में,

माननीय प्रधानमंत्री महोदय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषयः- राजभवन के आदेश के वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के मामले में अभियोजित एवं चार्जशीटेड डॉ० रविप्रकाश बबलू को जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के कुलसचिव पद से अविलंब हटाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध मे सादर निवेदित करना है किः-

1) राजभवन के पत्रांक बी0एस0यू0 (रजिस्टार) -27/2017/698-जी0एस0(1) दिनांक 19.05.2021 के द्वारा विश्वविद्यालय के एकेडमिक एवं प्रशासनिक हित का हवाला देते हुए डॉ0 रविप्रकाश बबलू एसोसिएट प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र विभाग, हरिराम कॉलेज, मैरवा, सिवान को जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा का कुलसचिव नियुक्त किया गया (अनुलग्नक 1) और डॉ0 रविप्रकाश बबलू ने उक्त आदेश के आलोक में 19.05.2021 को ही कुलसचिव के पद पर योगदान भी कर लिया (अनुलग्नक 2)। विदित हो कि डॉ0 रविप्रकाश बबलू, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में करोड़ो रु0 की उत्तर पुस्तिका खरीद घोटाले से संबंधित निगरानी थाना कांड सं0- 10/2015 दिनांक 30.01.2015 द्वारा धारा - 409,420,467,468, 477(A), 34,120(B) तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के धारा 13(1) D तथा 13 (2) तहत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना द्वारा दर्ज मुकदमें के अभियुक्त हैं। भ्रष्टाचार के इस चर्चित मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के अनुरोध पर तत्कालीन कुलाधिपति महामहिम रामनाथ कोविन्द जी (वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति) की अनुमति से तत्कालीन प्रधान सचिव श्री ब्रजेश महरोत्रा ने अपने पत्रांक जे0पी0यू0 27/2015-1309 रा0स0(1) दिनांक 10.09.2015 के द्वारा इस कांड के अन्य अभियुक्तों (तत्कालीन कुलपति सहित) के साथ डॉ0 रविप्रकाश बबलू जो उस समय विश्वविद्यालय में समायोजक, महाविद्यालय विकास परिषद के पद पर थे, के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप सही पाते हुए अभियोजन की स्वीकृत प्रदान किया (अनुलग्नक 3)।

2) राजभवन से अभियोजन की स्वीकृत मिलने के उपरांत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने निगरानी कोर्ट, मुजफ्फरपुर में दिनांक 12.10.2015 को अन्य अभियुक्तों के साथ डा0 रविप्रकाश बबलू के विरुद्ध आरोप पत्र सं0 (चार्जसीट) 64/15 समर्पित किया (अनुलग्नक 4) । वर्तमान समय में डॉ0 बबलू जमानत पर है और मुकदमा जारी है।

3) वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के उक्त मामले में डॉ0 आर0पी0 बबलू के साथ तत्कालीन कुलपति प्रो0 द्विजेन्द्र गुप्ता भी अभियुक्त थे और निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने राजभवन से उनके विरुद्ध अभियोजनकी स्वीकृति मिलने के उपरांत निगरानी कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया (अनुलग्नक 5,6) । निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा आरोप पत्र समिपत करने के उपरांत तत्कालीन राज्यपाल सह कुलाधिपति महामहिम रामनाथ कोविन्द ने राजभवन सचिवालय के पत्रांक जे0पी0यू-21/2014-1628/जी0एस0(1)दिनांक 02.12.2015 द्वारा तत्कालीन कुलपति प्रो0 द्विजेन्द्र गुप्ता को कुलपति पद से बर्खास्त कर दिया (अनुलग्नक 7) । मामले की गंभिरता इस बात से परिलक्षित होती है कि बिहार में उच्च शिक्षा के इतिहास में पहली बार किसी कुलपति को भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के प्रमाणित आरोप में बर्खास्त किया गया। इतना हीं नहीं वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के मामले में कुलपति को सहयोग करने वाले शिक्षकों :पदाधिकारियों को बिहार राज्य वि0वि0 अधिनियमः1976 की धारा 69(4) के तहत राजभवन के आदेश पर निलंबित कर स्थानांतरित कर दिया गया। इसी क्रम में डा0 रविप्रकाश बबलू को निलंबित कर आ0बी0जी0आर0 कॉलेज, महराजगंज से हरिराम महाविधालय, मैरवा, सिवान स्थानांतरित कर दिया गया और तबसे डा0 बबलू वहीं पदस्थापित हैं (अनुलग्नक 8,9)।

4) डा0 बबलू कई आपराधिक मामलों के आरोपी रहे है। भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त पूर्व कुलपति प्रो0 द्विजेन्द्र गुप्ता के विश्वासपात्र होने की वजह से डा0 बबलू प्रभारी कुलसचिव सहित कई पदों पर आसीन थे और इनकी निरंकुशता इतनी बढ़ गई थी कि वे राजभवन के क्रमशः(2)

6/1/2022

Scanned with CamScanner

आदेश को भी नहीं मानते थे। राजभवन के आदेशों की लगातार अवमानना एवं अनुशासनहीनता की वजह से महामहिम ने डा0 रविप्रकाश बबलू का स्थानांतरण दर्शणशास्त्र विभाग, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से पैतृक महाविद्यालय आर0बि0जी0आर0 कॉलेज महराजगंज कर दिया था(अनुलग्नक 10)। इनके क्रिया कलापों से नराज राजभवन ने इन्हें दो बार प्रभारी कुल सचिव सहित तमाम पदों से मुक्त करने का आदेश कुलपति को दिया था(अनुलग्नक 11)।

5) डा0 रविप्रकाश बबलू ने राजभवन के स्थानांतरण आदेश को पटना उच्च न्यायालय में सीडब्लूजेसी न0 943/2015 के द्वारा चुनौती भी दिया था लेकिन जयप्रकाश विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इनके आपराधिक इतिहास, भ्रष्टाचार एवं अनुशासनहीनता संबंधी ब्योरा जबाबी हलफनामा के माध्यम से न्यायालय के समक्ष सप्रमाण प्रस्तुत किया तो इन्होंने अपना मुकदमा वापस ले लिया (अनुलग्नक 12)। जो एक प्रकार से प्रमाण है कि डा0 बबलू का इतिहास दागदार रहा है एवं ये भ्रष्टाचार में पूर्णतः सम्मिलित रहें है।

6) इस तरह राजभवन की अनुमति एवं निर्देशो पर वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के मामले में अभियोजित एवं चार्जसीटेड डा0 रविप्रकाश बबलू को पुनः राजभवन द्वारा कुलसचिव पद पर नियुक्त करने से विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी छात्र संघ एवं बुद्धिजीवी विस्मित, हतप्रभ एवं मर्माहत है। विश्वविद्यालयों में वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के मामलों में राजभवन की नीति एवं रवैया जीरो टालरेंस की रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजभवन सचिवालय के अधिकारियों ने महामहिम के समक्ष डा0 रविप्रकाश बबलू से जुडे भ्रष्टाचार एवं आपराधिक मामलों से संबंधित संचिका को अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं कर तथ्यों को छिपाया और इस तरह का अवैध एवं अनुचित निर्णय लिया गया। राजभवन के इस निर्णय से उच्च शिक्षा की सुचिता एवं गरिमा को तो चोट पहुँची ही है और राजभवन की छवि भी धुमिल हुई है। जिससे बिहार सरकार एवं शिक्षा विभाग की भी छवि पर आघात हुआ है।

7) यहां यह कहना भी प्रासंगिक प्रतीत होता है कि भ्रष्टाचार के मामले में पी0एम0ओ0 कार्यालय की जीरो टालरेस की नीति के कारण इस महासंघ को एक उम्मीद जगी है कि इन सभी तथ्यों के संज्ञान में आने के बाद पी0एम0ओ0 कार्यालय द्वारा त्वरीत कारवाइ की जाएगी तथा ऐसे भ्रष्ट, निरंकुश पदाधिकारी को उनके मूल पद पर भेजने की दिशा में प्रभावकारी पहल की जाएगी। महोदय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने में संलिप्त पदाधिकारी, शिक्षक एवं कर्मचारी आज की तिथि में इनके निशाने पर है तथा ऐसे पदाधिकारीयों शिक्षकों एवं कर्मचारियों को मानसिक यातना जैसे बिना किसी सो-कॉज के निलम्बित करना तथा एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में सुदुर देहात में स्थानातंर कर देने का कार्य बदस्तुर जारी है। इसको लेकर महासंघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है किन्तु ऐसे व्यक्ति के मनोभाव में कोई परिवर्तन नहीं है। इनकी वर्तमान नियुक्ति(कुलसचिव के पद पर) के उपरान्त इनके क्रियाकलापों सहित अवैध रुप से अर्जित सम्पत्ति की भी जाँच नितान्त आवश्यक है।

इस संबंध में महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति महोदय को कारवाई हेतु स्वप्रमाण आवेदन समर्पित किया जा चूका है लेकिन आज तक कोई कारवाइ नहीं कि गई है। इससे कर्तव्यनिष्ठ एवं इमानदार शिक्षक, पदाधिकारी एवं कर्मचारीयों के मनोबल पर बुरा प्रभाव पर रहा है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से निवेदन है कि वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजित एवं चार्जसीटेड डा0 रविप्रकाश बबलू कुलसचिव जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा को अविलंब बर्खास्त करने हेतु महामहिम को समुचित निर्देश देने की महती कृपा की जाए तथा इनके द्वारा अवैध रुप से अर्जित संपत्ति की उपयुक्त एजेंसी से जाँच कराने हेतु आवश्यक निर्देश आपेक्षित है ताकि भ्रष्टाचार की मामले मे जीरो टालरेंस की नीति जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में प्रभावकारी हो सके।

सादर।

श्रीमान के चरणों में समर्पित।

भवदीय

06/01/2022

प्रदेश महासचिव

पत्रांक MSP/2022/212/Patna दिनांक 06/01/2022.

प्रतिलिपिः– 1. महामहिम राष्ट्रपति के प्रधान सचिव, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली।

2. माननीय गृहमंत्री, भारत सरकार नई दिल्ली।

3. माननीय शिक्षामंत्री, भारत सरकार नई दिल्ली।

4. महामहिम कुलाधिपति सह राज्यपाल राजभवन पटना।

5. माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार पटना।

6. माननीय शिक्षामंत्री, बिहार सरकार पटना।

7. माननीय प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग(उ0शि0) बिहार सरकार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु अग्रसारित।

सादर।

06/01/2022

प्रदेश महासचिव

06/01/2022

Scanned with CamScanner

जय प्रकाश विश्वविद्यालय

राहुल सांकृत्यान नगर,छपरा -841301,बिहार ;भारत,

JAI PRAKASH UNIVERSITY

RAHUL SANKRITYAYAN NAGAR, CHAPRA-841301, BIHAR (INDIA)

Tel.No.06152-233121(O) 233509(R) FAX- 06152-233507(O)

Letter No.- 4570-Est-I Dated:- 19/05/2021

कार्यालय आदेश

महामहिम राज्यपाल–सह–कुलाधिपति के संयुक्त सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, बिहार, पटना के ज्ञापांक–BSU(Registrar)-27/2017-698/GS (1), दिनांक–19.05.2021 के आलोक में **डॉ0 रवि प्रकाश "बबलू" एसोसिएट प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र विभाग, एच0आर0 कॉलेज, मैरवा, सिवान** के द्वारा जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा में कुलसचिव के पद पर दिनांक 19.05.2021 के अपराह्न में अपना योगदान कर लिया है।

माननीय कुलपति महोदय के आदेश से

कुलसचिव

ज्ञापांक:– 4570-Est-I दिनांक 19/05/2021

प्रतिलिपि:–

1. डॉ0 रवि प्रकाश "बबलू" एसोसिएट प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र विभाग, एच0आर0 कॉलेज, मैरवा, सिवान।
2. कर्नल श्यामा नन्द झा, निर्वतमान कुलसचिव, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।
3. सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन बिहार, पटना।
4. संयुक्त सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन बिहार, पटना।
5. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
6. प्रधान सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
7. निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
8. सभी संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।
9. सभी प्रचार्य/प्रभारी प्रचार्य, अंगीभूत महाविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालय, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।
10. शाखा प्रबंधक, सभी खाताधारी बैंक, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।
11. सभी पदाधिकारीगण/प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।
12. माननीय कुलपति/प्रति–कुलपति/वित्त परामर्शी/कुलसचिव के निजी सहायक, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.05.2021

कुलसचिव

19/5/21

Scanned by CamScanner

GOVERNOR'S SECRETARIAT, BIHAR
RAJ BHAVAN, PATNA-800 022

NOTIFICATION

Dated- 19.05.2021

No. BSU(Registrar) 27/2017- 698 /GS(I) Consequent upon completion of period of more than three years of Col. Shyama Nand Jha initially appointed vide this Secretariat letter no. BSU- 27/2017- 961/GS (I) dated- 02.04.2018 as Registrar. Veer Kunwar Singh University, Ara and currently working as Registrar, Jai Prakash University, Chapra the Hon'ble Chancellor, after due consideration in academic and administrative interest of the University has been pleased to order to appoint **Dr. Ravi Prakash "Babloo" Associate Professor, Dept. of Philosophy, H. R. College Mairwa, Jai Prakash University, Chapra** to perform the duties of the Registrar, Jai Prakash University, Chapra in place of Col. Shyama Nand Jha with immediate effect until further orders.

Further necessary action may please be taken accordingly.

By the order of the Hon'ble Chancellor,

Sd/-

(Raj Kumar Sinha, IAS)
Joint Secretary

Memo No.- BSU(Registrar)-27/2017- 698 /GS(I), Dated – 19.05.2021

Copy forwarded to:

1. **Dr. Ravi Prakash "Babloo"** Associate Professor, Dept. of Philosophy, H. R. College Mairwa, Jai Prakash University, Chapra for information and necessary action.
2. **Col. Shyama Nand Jha** for information and necessary action.
3. The Vice-Chancellor, Jai Prakash University, Chapra / Principal, H. R. College Mairwa for information and necessary action.
4. PS to Governor/ PS to Secretary, Governor's Secretariat, Bihar/ PRO/PSG/ /Guard File, Raj Bhawan, Patna for information.

19/5/21

(Raj Kumar Sinha, IAS)
Joint Secretary

Scanned by CamScanner

राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना-800022

संख्या-जे0पी0यू-27/2015-1309 रा.स(i), दिनांक 10-09-2015

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा
राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार
राजभवन, पटना।

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक,
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो
बिहार, पटना।

विषयः-निगरानी थाना कांड सं0-010/2015, दिनांक 30.01.2015 धारा-409/420/467/468/477(ए)/34/120(बी)भा0द0वि0 एवं धारा-13(2) सह-पठित धारा-13(1)(डी)भ्र0नि0अधि0,1988 के अभियुक्त डा0 रवि प्रकाश बबलू, समायोजक, महाविद्यालय विकास परिषद, सम्प्रति एसोसिएट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर, दर्शन शास्त्र विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के विरुद्ध धारा 19 भ्र0नि0अधि0, 1988 एवं धारा-197 द0प्र0सं0 के प्रावधानों के तहत अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्ताव ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक-एस0आर0-010/2015-निग0-1227/अप0शा0, दिनांक 10.07.2015 के संदर्भ में सूचित करना है कि महामहिम राज्यपाल सह-कुलाधिपति, बिहार द्वारा निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो), बिहार सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त निगरानी थाना कांड सं0-010/2015, दिनांक 30.01.2015 धारा-409/ 420/ 467/ 468/ 477(ए)/34/ 120(बी)भा0द0वि0 एवं धारा-13(2) सह-पठित धारा-13(1)(डी) भ्र0नि0अधि0, 1988 के अभियुक्त डा0 रवि प्रकाश बबलू, समायोजक, महाविद्यालय विकास परिषद, सम्प्रति एसोसिएट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर, दर्शन शास्त्र विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के विरुद्ध धारा 19 भ्र0नि0अधि0, 1988 एवं धारा-197 द0प्र0सं0 के प्रावधानों के तहत अभियोजन की स्वीकृति देने की कृपा की गयी है ।

अतः तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय एवं कृत कार्रवाई से इस सचिवालय को माननीय कुलाधिपति महोदय के सूचनार्थ अवगत कराने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन
9/9/15
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार
राजभवन, पटना ।

OSD(I)-P-letters

Scanned by CamScanner

395 386
33

निगरानी थाना कांड सं०- 10/2015- C.S. No.- 64/2015 dt. 12-10-15

11. आरोप पत्रित अभियुक्तों की विशिष्टयाँ (हरेक अभियुक्त के लिए अलग पन्ना उपयोग में लायें)

(1) नाम... डा० रवि प्रकाश बबलू ...सत्यापित है या नहीं... हाँ...

(2) पिता/पति का नाम...

(3) जन्म तिथि/वर्ष...

(4) लिंग... पुरुष ...(5) राष्ट्रीयता... भारतीय...

(6) पारपत्र संख्या-...निर्गम की तिथि...

(7) धर्म... हिन्दू ...(8) क्या अनु०जाति/अनु०ज०जाति के है...

(9) पेशा... सहायक प्राध्यापक, महाविद्यालय शिक्षक परिषद ...(10) पता... जय प्रकाश विश्वविद्यालय छपरा

(11) औपबंधिक आपराधिक संख्या- स्नातकोत्तर दर्शन शास्त्र विभाग

(12) नियमित आपराधिक संख्या-

(13) गिरफ्तारी की तिथि-

(14) जमानत पर रिहा होने की तिथि-

(15) न्यायालय में अग्रसारण की तिथि-

(16) किन अधिनियमों एवं धाराओं के अधीन-

(17) जमानतदार/प्रतिभूतिदाता का नाम एवं पता-

(18) फेश निर्देशों सहित पूर्व दोष सिद्धि-

(19) अभियुक्त की परिस्थिति- अग्रसारित/पुलिस द्वारा जमानत पर रिहा/न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा/न्यायिक अभिरक्षा में/फरार/उदघोषित अपराधी-

न्यायालय द्वारा सम्मन किया जाय।

12/10/15

23३७०१६ 14/10/15 14/10/15 14/10/15 14/10/15

14.10.15

Secy

ADSP Judge Vig
13.10.15

संक्षेपणी

निगरानी थाना काण्ड संख्या- 010/2015, दिनांक-30.01.15,
आरोप पत्र संख्या एवं तिथि- 64/15, 12.10.15

यह काण्ड श्री रामकृष्ण पोद्दार, पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के नेतृत्व में गठित जाँचदल द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन दिनांक-27.01.15 के आधार पर समीक्षोपरान्त दर्ज किया गया है। प्राथमिकी का सारांश यह है कि परिवादी श्री विश्वजीत कुमार चंदेल द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के पास परिवाद पत्र एवं शपथ पत्र भेजा गया जिसके आलोक में जाँच कराये जाने पर पाया गया कि प्रो0 दिजेन्द्र गुप्ता, कुलपति, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, जो इलाहाबाद के रहने वाले हैं तथा जिन्होनें कुलपति का पदभार ग्रहण करने के पश्चात विश्वविद्यालय की परीक्षा संचालन करने हेतु पर्याप्त मात्रा में लगभग 4,34,579/-(चार लाख चौंतीस हजार पाँच सौ उन्नासी) उत्तर पुस्तिका स्टॉक में रहते हुए प्राथमिकी एवं अप्राथमिकी के अभियुक्तों साथ आपराधिक षडयंत्र कर एवं अपने पद का भ्रष्ट दुरूपयोग करते हुए सदोष लाभ पाने तथा जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा को सदोष हानि पहुँचाने की नीयत से इलाहाबाद के एक प्रतिष्ठान चन्द्रकला यूनिवर्सल प्रा0लि0 को बगैर निविदा आमंत्रित किये ही अधिक कीमत पर उत्तर पुस्तिका की आपूर्ति तथा गोपनीय छपाई का आदेश दिया एवं इसी कम में नियमों का उल्लंघन कर 1,44,88,549/-(एक करोड़ चौवालिस लाख अठ्ठासी हजार पाँच सौ उनचास) रूपये का भुगतान किया गया है।

अनुसंधानोपरान्त पाया गया कि इस काण्ड के प्राथमिकी/अप्राथमिकी अभियुक्त (1) श्री द्विजेन्द्र गुप्ता, कुलपति जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, (2) श्री दिवान्शु कुमार, तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक, सम्प्रति एसोसिएट प्रोफेसर, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, (3) श्री गोपाल प्रसाद आर्या, तत्कालीन निदेशक, परीक्षा, सम्प्रति एसोसिएट प्रोफेसर स्नाकोत्तर मनोविज्ञान विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, (4) डॉ0 अनिता, स्नाकोत्तर हिन्दी विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, (5) डॉ0 अजीत कुमार तिवारी, स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, (6) प्रोफेसर सरोज कुमार वर्मा, स्नातकोत्तर राजनीती शास्त्र विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, (7) डॉ0 विजय प्रताप कुमार , तत्कालीन कुलसचिव, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, सम्प्रति आर0बी0जी0आर0 कॉलेज महाराजगंज, सीवान, (8) प्रो0 अनिल कुमार, तत्कालीन कुलसचिव, सम्प्रति ओ0एस0डी0 (वित्त एवं परीक्षा) जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, (9) डा0 रविप्रकाश बबलु, तत्कालीन समायोजक, महाविद्यालय विकास परिषद, सम्प्रति एसोसिएट प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, (10) श्री ब्रजकिशोर सिंह, अधिषद सदस्य सम्प्रति पुस्तकालयाध्यक्ष, जगदम्ब कॉलेज छपरा, (11) श्री सोनेलाल सहनी, वित्त पदाधिकारी (12) श्री प्यारे मोहन सहाय, वित्तीय परामर्शी एवं (13) श्री सुशान्त दीक्षित, निदेशक चन्द्रकला यूनिवर्सल प्रा0लि0, इलाहाबाद के विरुद्ध प्राथमिकी की धाराओं में आरोप का साक्ष्य पाया गया है।

अनुसंधान में पाया गया कि महामहिम राज्यपाल बिहार, पटना के पत्रांक-बी0एस0यू0-25/84-3965-जी0एस0 (1) दिनांक-20.12.86 के माध्यम से बिहार के सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को आदेश दिया गया था कि बिहार अर्न्तविश्वविद्यालय बोर्ड अधिनियम 1981 की धारा-5(2) का अनुपालन करते हुए क्रय एवं विक्रय समिति का गठन किया जाय। इस अधिनियम के तहत क्रय एवं विक्रय समिति में विश्वविद्यालय के कुलपति पदेन

Scanned by CamScanner

अध्यक्ष होगें तथा वित्तीय सलाहकार एवं सिंडिकेट द्वारा चयनित तीन सदस्य होगें साथ वित्तीय पदाधिकारी सदस्य सचिव का कार्य करेगें। उपरोक्त प्राथमिकी एवं अप्राथमिकी अभियुक्तों द्वारा उक्त अधिनियम का अनुपालन नहीं किया गया इसके अलावे बिहार वित्त नियमावली में दिये गये प्रावधान तथा बिहार वित्त संशोधन नियमवाली 2005 के नियम 124 से 131 तक के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया एवं मनमानी प्रविष्टि कर पद का भ्रष्ट दुरुपयोग करते हुए अपने हित में अभिलेख का सृजन किया गया।

इस काण्ड के प्राथमिकी/अप्राथमिकी अभियुक्तों (1) श्री द्विजेन्द्र गुप्ता, कुलपति जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, (2) श्री दिवान्शु कुमार, तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक, सम्प्रति एसोसिएट प्रोफेसर, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, (3) श्री गोपाल प्रसाद आर्या, तत्कालीन निदेशक, परीक्षा, सम्प्रति एसोसिएट प्रोफेसर स्नाकोत्तर मनोविज्ञान विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, (4) डॉ0 अनिता, स्नाकोत्तर हिन्दी विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, (5) डॉ0 अजीत कुमार तिवारी, स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, (6) प्रोफेसर सरोज कुमार वर्मा, स्नातकोत्तर राजनीती शास्त्र विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, (7) डॉ0 विजय प्रताप कुमार , तत्कालीन कुलसचिव, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, सम्प्रति आर0बी0जी0आर0 कॉलेज महाराजगंज, सीवान, (8) प्रो0 अनिल कुमार, तत्कालीन कुलसचिव, सम्प्रति ओ0एस0डी0 (वित्त एवं परीक्षा) जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, (9) डा0 रविप्रकाश बबलु, तत्कालीन समायोजक, महाविद्यालय विकास परिषद, सम्प्रति एसोसिएट प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत्यादेश प्राप्त है। अतः उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उपरोक्त सभी नौ लोकसेवक एवं गैर लोकसेवक श्री सुशान्त दिक्षित, निदेशक चन्द्रकला यूनिवर्सल प्रा0लि0 के विरुद्ध धारा-13(2) सहपठित धारा-13(1)(डी) भ्र0नि0अधि0, 1988 एवं धारा-409/420/467/468/477(ए)/ 34/120(बी) भा0द0वि0 के अन्तर्गत सत्य पाया गया एवं आरोप पत्र समर्पित किया। अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध अनुसंधान जारी है।

12/10/15

(सुनील कुमार)

पुलिस अधीक्षक-सह-अनुसंधान पदाधिकारी

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना।

Received by 14/10/15

Compared by 14/10/15

Certified to be true Copy
Authorised Vide Act 1872
14/10/15
Head Clerk
Civil court, Muzaffarpur

Scanned by CamScanner

Speed Post

GOVERNOR'S SECRETARIAT, BIHAR
RAJ BHAVAN, PATNA-800022

Letter No.-JPU(Appeal)-13/2016- 1416/GS (I), Dated-

From,

A.L. Srivastav
Officer on Special Duty (Judl.)

To,

The Vice Chancellor,
Jai Prakash University,
Chapra

Sub.: Appeals filed by the teacher namely (I) Dr. Ajit Kumar Tiwary(II)Dr. Anil Kumar(III)Dr. Saroj Kumar Verma(IV)Dr. Gopal Prasad Arya(V)Dr. Anita (VI)Shri Vijay Pratap Kumar(VII)Dr. Dibanshu Kumar and (VIII) Dr. Ravi Prakash, "Babloo".

Ref.- Hearing held on 27.07.2016.

Sir,

I am directed to invite a reference to this Secretariat's letter no. JPU(Appeal)-13/2016-1298/GS(I), dated 15-07-2016 on the above subject and to enclose herewith a copy of the order dated 28.07.2016 passed by the Hon'ble Chancellor after hearing the concerned parties and the University for information and follow up necessary action forthwith under intimation to this secretariat.

Yours faithfully,

28.7.16

(A.L. Srivastav)
Officer on Special Duty (Judl.)

Encl.- As above.

Satyendra/Hearing-let. Page- 274 -

Scanned by CamScanner

File No.- JPU-12/2016

Dr. Saroj Kumar Verma vs. J.P. University, Chapra

File No. - JPU-28/2016

Dr. Anil Kumar vs. J.P. University, Chapra

File No. - JPU-11/2016

Dr. Ajit Kumar Tiwari vs. J.P. University, Chapra

File No. - JPU-21/2016

Dr. Gopal Prasad Arya vs. J.P. University, Chapra

File No - JPU-13/2016

Dr. Anita vs. J.P. University, Chapra

File No. - JPU-25/2015

Dr. Dibanshu Kumar vs. J.P. University, Chapra

File No. - JPU-26/2014

Dr. Vijay Pratap Kumar vs. J.P. University, Chapra

&

File No. - JPU-27/2014

Dr. Ravi Prakash, 'Babloo' vs. J.P. University, Chapra

Order

28.07.2016

Since aforementioned all appeals relate with the suspension of the appellants, hence for the sake of convenience all appeals are being decided by the and same order.

Facts of the cases in brief are that by an order contained under Memo No. 7254/R dated 19.12.2015, seven appellants were put under suspension with immediate effect by the authority under University. And by another order contained under Memo No. 7255/R dated 19.12.2015 the appellant Dr. Ravi Prakash 'Babloo' was put under suspension with immediate effect.

In both the orders it was stated that in compliance with the order of His Excellency the Governor-cum-Chancellor, J.P. University, Chapra contained in the letter of Sri A.L. Srivastav, O.S.D.(Judicial), bearing No. JPU-27/2015-1607/GS(1)

Scanned by CamScanner

dated 24.11.2015, the Vice Chancellor under Section 69(4) of the Bihar State Universities Act, 1976 as amended upto date, decided to place the appellants under suspension.

The appellants vide their Memo of appeals denied the allegations levelled against them and challenged the legality of impugned order of suspension and prayed for its quashing, mainly on the ground that the impugned orders of suspension are against the provisions of the B.S.U. Act and its Statute.

The University in its reply submitted that under direction of this Secretariat the appellants were put under suspension. The University subsequently constituted a committee to initiate departmental proceedings against the appellants and the committee was of the opinion that, "the suspension of these teachers may be revoked with a condition that neither they would be assigned any administrative responsibility nor would be nominated/selection/appointed to any statutory body/committee of the University till the pendency of the case in Hon'ble High Court. Also they may be transferred to other colleges/departments as punitive major after revocation of their suspension".

The University further submitted that an F.I.R. was lodged against the appellant Dr. R.P. 'Babloo' by the then Finance Officer in connection with missing of files.

Point for consideration:-

Whether the orders of suspension contained in Memo No. 7254/R and 7255/R dated 19.12.2015 are valid and legal ?

The impugned orders show that in compliance with the order of this Secretariat dated 24.11.2015, the Vice Chancellor decided to put the appellants under suspension. But from bare perusal of the contents of the letter dated 24.11.2015 issued under the sign of O.S.D.(Judicial), it appears that consequent upon submissions of the charge sheet against the appellant in Vigilance Case No. 10/2015, the Vice Chancellor, J.P. University, Chapra was asked to take disciplinary action against the appellants against whom the charge sheet has been submitted by the Vigilance.

Scanned by CamScanner

The files reveal this fact that without initiating any disciplinary proceedings issuing any show cause to the appellants the authority under University put them under suspension, which is against the principle of natural justice as well as Clause 10 of General Conditions of Service of employees.

Clause 10(1) of the aforementioned statutory reads as follow:-

"A University servant should be placed under suspension for reasons to be recorded in writing and while doing so the following principles may be observed:-

(i) If a University servant is being prosecuted on a criminal charge, he should be placed under suspension if he has been refused bail by the court and has been committed to prison.

(ii) In cases of criminal prosecution, a University servant should be suspended if the charge against him is such that on being found guilty of it, he is likely to be sentenced to a term of imprisonment, or on which he would be dismissed or removed from service, in a departmental enquiry. In such cases however the order of suspension need not be passed in every case immediately after cognizance has been taken. In suitable cases it may be passed after charges have been framed".

It is to be mentioned here that during course of hearing it became clear that all the appellants were enlarged on bail and they were never in jail custody for a moment and the Vigilance Case is still pending before the Court.

In support of their contention the counsel for the appellants filed a copy of decision reported in 2011(1) PLJR, 453.

In the instant case the Hon'ble High Court, Patna has been pleased to observe that, *"In the present, the documents indicate that when the suspension order was issued, no departmental proceeding has been initiated. Clause 10(ii) of the statute is very specific, that once a departmental proceeding is initiated and prima facie evidence is there, in support of the severe charges, suspension order can be issued. The departmental proceeding is presumed to have been initiated when charges are framed and served on the delinquent. The Enquiring and Conducting Officers are appointed, head office of the delinquent is fixed and the order is passed*

Recorded

Scanned by CamScanner

regarding payment of subsistence allowance. Unless these formalities are done, it cannot be said that departmental proceeding has been initiated".

The record shows that the impugned orders of suspension had not been issued subsequent to initiation of any departmental proceeding. Moreover, there is no dispute that on the date of issuance of suspension order the departmental proceeding was not initiated.

Therefore, considering the above facts and circumstances of the matters, I am of this view that the authority under University had no jurisdiction to issue orders of suspension contained under Memo No. 7254/R & 7255/R dated 19.12.2015 which is in violation of statutory provision as well as in violation of principles of natural justice.

Accordingly, the impugned orders of the suspension issued against the appellants are not sustainable and hence the same are quashed. Consequently the suspension orders of the appellants are revoked from the date of their suspension.

The authority under University is directed to notify this order positively by 30th July, 2016.

(Ram Nath Kovind)
Chancellor of the Universities

Date:— 28.07.2016

Scanned by CamScanner

जय प्रकाश विश्वविद्यालय

राहुल सांकृत्यायन नगर, छपरा – 841301, बिहार (भारत)

JAI PRAKASH UNIVERSITY

RAHUL SANKRITYAYAN NAGAR, CHAPRA-841301, BIHAR (INDIA)
Tel.No.06152-233121(O) 233609(R) FAX- 06152-233607(O)

Letter No.- 7912-Est. I (R)   Date:- 30.07.2016

Notification

In compliance with the order of the Hon'ble Chancellor as contained in Governor's Secretariat letter no. JPU(appeal-13/2016-1416/GS(1) dated 28.07.2016 the Vice-Chancellor has been pleased to revoke the suspension of the following teachers from the date of their suspension.

S.No.	Name	Colleges where headquarters fixed earlier
1.	Dr. Ajeet Kumar Tiwari Dept. of Economics, J.P. University, Chapra	Gopeshwar College, Hathwa
2.	Dr. Saroj Kumar Verma Dept. of Pol. Science, J. P. University, Chapra	Rajendra College, Chapra
3.	Prof. Anil Kumar Ex-Registrar, Ex OSD, J. P. University, Chapra Dept. of Physics, J. P. University, Chapra	Narain College, Gorenkothi
4.	Sri. Gopal Pd. Arya Ex Director, Exam., Dept. of Psychology, J. P. University, Chapra	R.B.G.R. College, Maharajganj
5.	Dr. Anita, Dept. of Hindi, J. P. University, Chapra	Y.N. College, Dighwara
6.	Dr. Bijay Pratap Kumar Ex-Registrar, J. P. University, Chapra Presently, Dept. of Psychology, Jagdam College, Chapra	H. R. College, Amnour
7.	Dr. Dibanshu Kumar Ex-Controller, J. P. University, Chapra Dept. of Sanskrit, J. P. University, Chapra	N.L.S. College, Daupur
8.	Dr. R. P. Babloo Ex-Registrar, J. P. University, Chapra Dept. of Philosophy, J. P. University, Chapra	H. R. College, Mairawa

Further, in the light of the recommendation of the committee constituted for departmental enquiry the aforesaid teachers are hereby transferred and posted with immediate effect until further order to the colleges where their headquarters were fixed during suspension; mentioned against their names as above.

Sd/-
Registrar

Continued

[illegible]

Scanned by CamScanner

जय प्रकाश विश्वविद्यालय

राहुल सांकृत्यायन नगर, छपरा – 841301, बिहार (भारत)

JAI PRAKASH UNIVERSITY

RAHUL SANKRITYAYAN NAGAR, CHAPRA-841301, BIHAR (INDIA)
Tel.No.06152-233121(O) 233509(R) FAX- 06152-233507(O)

Letter No.- 7912-EST-I(R) Date:- 30.07.2016

Memo No.- Date ....

Copy forwarded to :

1. Person concerned
2. Principal concerned colleges
3. Mr. A. L. Shrivastava, OSD(J), Raj Bhawan Patna
4. All Officers, J. P. University, Chapra;
5. F.A,. J. P. University, Chapra
6. P.A. to Vice-Chancellor/Pro Vice-Chancellor/Registrar, J. P. University, Chapra: for information and necessary action.

30.7.16

Registrar

Usman/Pad Univ /00r

Scanned by CamScanner

जय प्रकाश विश्वविद्यालय

राहुल सांकृत्यायन नगर, छपरा – 841301, बिहार (भारत)

JAI PRAKASH UNIVERSITY

RAHUL SANKRITYAYAN NAGAR, CHAPRA-841301, BIHAR (INDIA)

Tel.No.06152-233121(O) 233509(R) FAX- 06152-233507(O)

Letter No.-..... Dated:- .....

Office Order

In compliance of the order of the His Excellency the Governor cum Chancellor, J. P. University, Chapra, contained in the letter of Sri A. L. Shrivastav OSD(J) bearing No. JPU-27-2015-1607/रा.स.(1) dated 24.11.2015, the Hon'ble Vice-Chancellor, under section 69(4) of Bihar State Universities Act, 1976 as amended upto date has been pleased to place following employees under suspension with immediate effect.

During suspension period they are attached to the colleges stated against their names where they are required to report daily.

S.No.	Names	Places where attached
1.	Dr. Ajeet Kumar Tiwari, Dept. of Economics, J. P. University, Chapra	Gopeshwar College, Hathwa
2.	Dr. Saroj Kumar Verma Dept. of Pol. Science, J. P. University, Chapra	N.L.S. College, Daudpur
3.	Prof. Anil Kumar Ex-Registrar, Ex OSD, J. P. University, Chapra, Dept. of Physics, J. P. University, Chapra	Narain College, Goreakothi
4.	Sri Gopal Pd. Arya Ex Director, Exam., Dept. of Psychology, J. P. University, Chapra	R.B.G.R. College, Maharajganj
5.	Dr. Anita, Dept. of Hindi, J. P. University, Chapra	Y.N. College, Dighwara
6.	Dr. Bijay Pratap Kumar Ex Registrar, J. P. University, Chapra Presently, Dept. of Psychology, Jagdam College, Chapra	H.R.College, Amnour
7.	Dr. Dibanshu Kumar Ex Controller, J. P. University, Chapra Dept. of Sanskrit, J. P. University, Chapra	N.L.S. College, Daudpur

Sd/-
(Dr. Ashok Kumar)
Registrar

Memo No. 7254 (R) Dated- 19/12/15

Copy forwarded to :

1. Persons concerned
2. Principals, concerned Colleges
3. Principal Secretary, Governor's Secretariat, Raj Bhawan, Patna
4. Dr. A. L. Shrivastav OSD(J), Raj Bhawan, Patna
5. All Officers of the University
6. F.A., J. P. University, Chapra
7. F.O., J. P. University, Chapra
8. P.A. to VC/Pro VC./Registrar, J. P. University, Chapra

for information and necessary action.

19/12/15

Registrar

Doc13

Scanned by CamScanner

Fax/Speed Po

GOVERNOR'S SECRETARIAT, BIHAR
RAJ BHAVAN, PATNA-800022

Letter No.JPU-27/2014- /GS(I), Dated

From,

U.K. Choubey
Additional Secretary

To,

The Vice Chancellor
Jai Prakash University,
Chapra.

Sub:- To revert back the services of Dr. Ravi Prakash (Bablu), Assista Professor in R.B.G.R. College, Maharajganj.

Sir,

With reference to the subject noted above, I am directed to inform th the Hon'ble Chancellor, after due consideration of the matter has been pleas to order to revert back the services of Dr. Ravi Prakash (Bablu), Assista Professor to his parent College i.e. R.B.G.R. College, Maharajganj wi immediate effect.

The Compliance report of the order of Hon'ble Chancellor be ma immediately under intimation addressed to the Principal Secretary to Governo Governor's Secretariat, Raj Bhawan, Patna-800022. His e-mail address *secy-gs-bih@nic.in.* Fax number of Principal Secretary Cell is 0612-2786178.

Yours faithfully,

Sd/-
(U.K. Choubey)
Additional Secretary

Memo No. JPU-27/2014- 1595 /GS(I), Dated 26-11-2014

Copy forwarded to Dr. Ravi Prakash (Bablu), Assistant Profess R B G R. College, Maharajganj for information and necessary action.

26/11/2014
Additional Secretary

Scanned by CamScanner

The Court of Spl. Judge Vigilance North Bihar Muzaffarpur
Vigilance case no. 10/2015
Spl. Case no.-03/15

-371-

राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना-800022

संख्या-जे0पी0यू-21/2014 1294 /रा.स(I), दिनांक 04.09.2015

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा
राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार
राजभवन, पटना।

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक,
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो
बिहार, पटना।

Seen
Spl. Judge
13/10/15

विषयः-निगरानी थाना कांड सं0-010/2015, दिनांक 30.01.2015 धारा-409/420/467/468/477(ए)/34/120(बी)भा0द0वि0 एवं धारा-13(2) सह-पठित धारा-13(1)(डी)भ्र0नि0अधि0,1988 के अभियुक्त श्री द्विजेन्द्र गुप्ता, कुलपति, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के विरूद्ध धारा 19 भ्र0नि0अधि0, 1988 एवं धारा-197 द०प्र०स० के प्रावधानों के तहत अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्ताव ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक-एस0आर0-010/2015-निग0-1046/आप0शा0, दिनांक 18.06.2015 के संदर्भ में सूचित करना है कि महामहिम राज्यपाल सह-कुलाधिपति, बिहार द्वारा निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो), बिहार सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त निगरानी थाना कांड सं0-010/2015, दिनांक 30.01.2015 धारा-409/ 420/ 467/ 468/ 477(ए)/34/ 120(बी)भा0द0वि0 एवं धारा-13(2) सह-पठित धारा-13(1)(डी) भ्र0नि0अधि0, 1988 के अभियुक्त श्री द्विजेन्द्र गुप्ता, कुलपति, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के विरूद्ध धारा 19 भ्र0नि0अधि0, 1988 एवं धारा-197 द०प्र०स० के प्रावधानों के तहत अभियोजन की स्वीकृति देने की कृपा की गयी है ।

अतः तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय एवं कृत कार्रवाई से इस सचिवालय को माननीय कुलाधिपति महोदय के सूचनार्थ अवगत कराने की कृपा की जाय ।

1427/S.P.
08-09-15

विश्वासभाजन

4/9/15
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार
राजभवन, पटना ।

OSD(J)-P-letter3

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.
MUZAFFARPUR COURT
COURT FEE
भारत INDIA
बिहार JUDICIAL
BIHAR
STAMP DUTY 00000
Rs. 0000010
14.10.2015
375263
Authorization No. 3876
1323 0110755

Scanned by CamScanner

11. आरोप पत्रित अभियुक्त व्यक्तियों की विशिष्टियां (हरेक अभियुक्त के लिए अलग पन्ना उपयोग में लायें)
(Particulars of accused persons charge-sheeted)

(i) *नाम (Name)..... सत्यापित है या नहीं.....
(ii) पिता/पति का नाम.....
(iii) जन्म तिथि/वर्ष.....
(iv) लिंग..... (v) राष्ट्रीयता.....
(vi) पारपत्र सं०..... निर्गम तिथि.....
निर्गम स्थान.....
(vii) धर्म..... (viii) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के हैं।
(ix) पेशा..... (x) पता.....
..... सत्यापित है या नहीं.....
(xi) *औपबंधिक अपराधि सं० (Provisional Criminal No.)
(xii) *नियमित अपराधि सं० (यदि ज्ञात हो) Regular Criminal No. (if known)
(xiii) *गिरफ्तारी की तिथि.....
(xiv) *जमानत पर रिहा होने की तिथि (Date of release on bail).....
(xv) *न्यायालय में अग्रसारण की तिथि (Date on which forwared to Court).....
(xvi) *किन अधिनियमों एवं धाराओं के अधीन (Under Acts & Sections).....
(xvii) *जमानतदारों/प्रतिभूतिदाताओं का नाम और पता.....
[Name(s) of bailers/Sureties and address(es)].....
(xviii) केस निर्देशों सहित पूर्व दोष सिद्धि.....
(xix) अभियुक्त की परिस्थिति (Status of the accused)
अग्रसारित/पुलिस द्वारा जमानत पर रिहा/न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा/न्यायिक अभिरक्षा में/फरार/उद्घोषित अपराधी
(Forwarded/Bailed by Police/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconding/Proclaimed offender)

12. ऐसे अभियुक्त व्यक्तियों की विशिष्टियां जो आरोप पत्रित नहीं (संदिग्ध) है। (हरेक संदिग्ध व्यक्ति के लिए अलग से पन्ना व्यवहार में लाजें)
(Particulars of accused Persons not charge sheeted (separate sheet for each suspect.)
क्रम सं०

(i) *नाम (Name).....
(ii) पिता/पति का नाम..... सत्यापित है या नहीं.....
(iii) जन्म तिथि/वर्ष.....
(iv) लिंग.....
(vi) पारपत्र सं०..... (v) राष्ट्रीयता.....
(vii) धर्म..... निर्गम तिथि..... निर्गम स्थान.....
(ix) पेशा..... (viii) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के हैं।
..... (xi) पता.....
(xi) *औपबंधिक अपराधि सं० (Provisional Criminal No.)..... सत्यापित है या नहीं.....
(xii) *संदेह अनुमोदित (Suspicion Approved) (हाँ/नहीं) (Yes/No).....
(xiii) *अभियुक्त [संदिग्ध व्यक्ति] का स्तर : पुलिस द्वारा जमानत पर रिहा/न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा/न्या येक अभिरक्षा में/गिरफ्तार नहीं किया जा सका। (Status of the accused Suspect)(Bailed by Police/Bailed by Court/in Judicial Custody/ Not arrested).....
(xiv) किन अधिनियमों और धाराओं के अधीन.....
(xv) आरोप-पत्रित नहीं करने के कारणों सहित कोई विशेष अभ्युक्ति.....
.....
.....
.....

Scanned by CamScanner

In the Court of Spl. Judge Vigilance, North Bihar, Muzaffarpur
Vigilance Case No. 10/15
Spl. Case No. 03/15

23/10/2014

SP/03/15

Seen
Spl. Judge
13.10.15

अनुसूची 47, प्रपत्र सं० 122
आ० ह० प्रपत्र सं० 32

अंतिम प्रपत्र/रिपोर्ट

(FINAL FORM/REPORT)

(दण्ड प्र० संहिता की धारा 173/174 के अधीन)

3271891

मा० विशेष निगरानी ... के न्यायालय में
(In the court of)

1. *जिला ...पटना... *थाना ...निगरानी... *वर्ष ...2015... *प्राथमिकी सं० ...10/15... *तिथि ...30-09-15...
(Distt.) (P.S.) (Year) (FIR No.) (Date)
2. *अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र सं० ...64/2015... 3. *तारीख ...12-10-2015...
(Final Report/Charge Sheet No.) (DATED)
4. [1] *अधिनियम (Act) ...भ्र० नि० अधि०, 1988 — *धाराएं (Sections) 13(2) सह-पठित धारा
[2] *अधिनियम (Act) ...भ्र० नि० अधि०, 1988 — *धाराएं (Sections) 13(1)(d)
[3] *अधिनियम (Act) ...भा० द० वि०... *धाराएं (Sections) 409/420/467/468
[4] *अन्य अधिनियम एवं धाराएं (Other Acts & Sections) ...477(A)/34/120(B)...
5. *अंतिम प्रपत्र/रिपोर्ट का प्रकार :—आरोप पत्र/साक्ष्य के अभाव में आरोप-पत्र नहीं दिया गया/अंतिम रिपोर्ट सत्य-पता नहीं चला/अंतिम रिपोर्ट सत्य-खोज नहीं हो सकी/अंतिम रिपोर्ट सत्य अपराध उपशमित किया गया/अंतिम रिपोर्ट-नहीं घटित हुई।
(Type of Final Form/Report :—Charge Sheet/Not Charge Sheeted for want of evidence/FRT Undetected/FRT Untraced/FRT offence abated/FR Unoccured)
6. *यदि अ० रि० अघटित हो :—मिथ्या/तथ्यों की भूल/विधि की भूल/असंज्ञेय/दीवानी प्रकृति का
(If F. R. Unoccured : False/Mistake of Fact/Mistake of law/non-cognizable/Civil Nature.)
7. *यदि आरोप पत्र हो तो मूल/अनुपूरक
(If Charge-sheet-Original/Supplementary)
8. *अनुसंधान पदाधिकारी का नाम ...सुनील कुमार... पदनाम ...पुलिस अधीक्षक... सं०
(Name of I. O.) (Rank) (No.)
9. [क] परिवादी/सूचनादाता का नाम ...श्री राज कुमार पोद्दार, पुलिस अधीक्षक, निगरानी...
[ख] पिता का/पति का नाम ...स्व० राम शरण पोद्दार...
10. अनुसंधान के दौरान बरामद/जप्त ऐसी संपत्तियों/वस्तुओं/दस्तावेजों का विवरण जिन पर निर्भर किया गया हो। यदि आवश्यक हो तो अलग से सूची संलग्न की जा सकती है।

क्रम सं०	सम्पत्ति का वर्णन	प्राक्कलित मूल्य (रूपये में)	थाना का संपति रजिस्टर सं०	किससे/कहाँ बरामद या जप्त की गयी	निपटारा
1	2	3	4	5	6
	अभी सूचि के अनुसार जिसका पूर्ण उल्लेख केस दैनिकी में अंकित है				

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.
MUZAFFARPUR SCORE MUZAFFARPUR
COURT FEE
Authorization No. 3876
भारत INDIA
Rs. 0000010 1322 9809785
275263
बिहार JUDICIAL 14.10.2015 BIHAR

Scanned by CamScanner

11. आरोप पत्रित अभियुक्त व्यक्तियों की विशिष्टियां (हरेक अभियुक्त के लिए अलग पन्ना उपयोग में लायें)

(Particulars of accused persons charge-sheeted)

(i) *नाम (Name)...... द्विजेन्द्र गुप्ता ...... सत्यापित है या नहीं...... हाँ ......

(ii) पिता/पति का नाम......

(iii) जन्म तिथि/वर्ष......

(iv) लिंग...... पुरुष ...... (v) राष्ट्रीयता...... भारतीय ......

(vi) पारपत्र सं०...... निर्गम तिथि......

निर्गम स्थान......

(vii) धर्म...... हिन्दू ...... (viii) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के हैं।

(ix) पेशा...... कुलपति ...... (x) पता...... ग्राम. प्रकाश. शिक्षक. विश्वविद्यालय ......

...... सत्यापित है या नहीं...... हाँ ...... नि.प्र.र.)......

(xi) *औपबंधिक अपराधि सं० (Provisional Criminal No.)......

(xii) *नियमित अपराधि सं०, (यदि ज्ञात हो) Regular Criminal No. (if known)

(xiii) *गिरफ्तारी की तिथि......

(xiv) *जमानत पर रिहा होने की तिथि (Date of release on bail)......

(xv) *न्यायालय में अग्रसारण की तिथि (Date on which forwared to Court)......

(xvi) *किन अधिनियमों एवं धाराओं के अधीन (Under Acts & Sections)......

(xvii) *जमानतदारों/प्रतिभूतिदाताओं का नाम और पता......

[Name(s) of bailers/Sureties and address(es)]......

(xviii) केस निर्देशों सहित पूर्व दोष सिद्धि......

(xix) अभियुक्त की परिस्थिति (Status of the accused)

अग्रसारित/पुलिस द्वारा जमानत पर रिहा/न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा/न्यायिक अभिरक्षा में/फरार/उद्घोषित अपराधी (Forwarded/Bailed by Police/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconding/Proclaimed offender)

12. ऐसे अभियुक्त व्यक्तियों की विशिष्टियां जो आरोप पत्रित नहीं (संदिग्ध) है। (हरेक संदिग्ध व्यक्ति के लिए अलग से पन्ना व्यवहार में लायें)।

(Particulars of accused Persons not charge sheeted (separate sheet for each suspect.)

क्रम सं०

(i) *नाम (Name)...... सत्यापित है या नहीं......

(ii) पिता/पति का नाम......

(iii) जन्म तिथि/वर्ष......

(iv) लिंग......

...... (v) राष्ट्रीयता......

(vi) पारपत्र सं०...... निर्गम तिथि...... निर्गम स्थान......

(vii) धर्म......

(ix) पेशा...... (viii) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के हैं।

...... (xi) पता......

...... सत्यापित है या नहीं......

(xi) *औपबंधिक अपराधि सं० (Provisional Criminal No.)......

(xii) *संदेह अनुमोदित (Suspicion Approved) (हाँ/नहीं) (Yes/No)......

(xiii) *अभियुक्त [संदिग्ध व्यक्ति] का स्तर : पुलिस द्वारा जमानत पर रिहा/न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा/न्यायिक अभिरक्षा में/गिरफ्तार नहीं किया जा सका। (Status of the accused Suspect)(Bailed by Police/Bailed by Court/in Judicial Custody/ Not arrested) ......

(xiv) किन अधिनियमों और धाराओं के अधीन......

(xv) आरोप-पत्रित नहीं करने के कारणों सहित कोई विशेष अभ्युक्ति......

......

......

......

Scanned by CamScanner

CONFIDENTIAL

GOVERNOR'S SECRETARIAT, BIHAR
RAJ BHAVAN, PATNA-800022

Letter No.JPU-21/2014- 1628 /GS(I), Dated- 02.12.2015

From,

Brijesh Mehrotra
Principal Secretary to Governor

To,

Spl. Messenger

Prof. Dwijendra Kumar Gupta
The Vice Chancellor
Jai Prakash University,
Chapra.

Sir,

With reference to the show cause vide Governor Secretariat's letter no. JPU-21/2014-1495/GS(I), dated 26.10.2015, I am directed to enclose herewith a copy of the order dated 02.12.2015, passed by Hon'ble Chancellor, Jai Prakash University, Chapra for your information and compliance of the Order, as desired therein.

Yours faithfully,

Sd/-
(Brijesh Mehrotra)
Principal Secretary to Governor

Encl. Order sheet

Memo No.JPU-21/2014- 1628 /GS(I), Dated- 02.12.2015

Copy alongwith copy of the order dated 02.12.2015 passed by Hon'ble Chancellor, Jai Prakash University, Chapra forwarded to Principal Secretary, Education Dept. Govt. of Bihar/Pro-Vice-Chancellor, J.P. University, Chapra for information and necessary action.

B. Mehrotra 2/12/15
Principal Secretary to Governor

Scanned by CamScanner

(477)

ORDER

WHEREAS there were serious allegations of financial irregularities and of criminal misconducts committed/done by Prof. Dwijendra K. Gupta, the Vice Chancellor, Jai Prakash University, Chapra for which the Vigilance Investigation Bureau of the State Government had submitted a Preliminary Enquiry Report against Prof. Gupta which lead to the institution of a First Information Report for the offences alleged to have been made under Sections 409, 420, 467, 468, 471, 477(A)/34/120B of the Indian Penal Code and Section 13(2) read with Section 13(1)(d) of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Vigilance Case No. 10/15) against him and subsequently, I accorded sanction of prosecution for the same. Consequently, the Vigilance Investigation Bureau submitted the charge sheet on 12.10.15 (charge sheet no. 64/15) in the Vigilance Court, whereby and whereunder the allegations U/s 409, 420, 467, 468, 477(A)/34/120B of the IPC and the same U/s 13(2) read with Section 13(1)(d) were found to be true.

AND

WHEREAS after careful examination and consideration of the entire facts and circumstances, I had ordered on 26th October 2015 for issuance of a show cause to the Vice Chancellor Prof. Dwijendra K. Gupta under provisions of Section 11(2) of the Bihar State Universities Act, 1976 (as amended up to date) which was issued on the same day granting him a fortnight time to submit his explanation/show cause failing which it was to be presumed that he had nothing to say against the charges leveled against him; The said show cause notice was duly served to him on 26.10.2015.

AND

WHEREAS the Vice Chancellor has yet not submitted his explanation/show cause in compliance of the direction of the Chancellor, and , instead of doing so, the Vice Chancellor has sought for certain papers from this Secretariat, most of which has either been given to him

Scanned by CamScanner

along with the Police Papers, QR for which this Secretariat is not the right place to seek for which is certainly a delay tactic on part of the Vice Chancellor Prof. Gupta to avoid the show cause notice and in such a situation it is assumed that the Vice Chancellor Prof. Gupta has nothing to say;

AND

WHEREAS after careful examination and consideration of the entire facts and circumstances and after perusal of all the materials placed before me, I am of the firm view that the Vice Chancellor Prof. Gupta has failed to discharge the duty imposed upon him by or under provisions of the Bihar State Universities Act, 1976, the Statutes framed there under and the directions issued on behalf of the Chancellor as the head of the University and that he has acted in manner prejudicial to the interest of the University and also he is incapable of managing the affairs of the University and as a consequence of that, action under section 11(1) of the Bihar State Universities Act, 1976 is required to be taken against him;

AND

WHEREAS I have already consulted the State Government in the matter;

I, Ram Nath Kovind, Chancellor, Jai Prakash University, Chapra in exercise of the powers conferred upon me U/s 11(1) of the Bihar State Universities Act, 1976 (as amended up to date) hereby direct Prof. Dwijendra K. Gupta, Vice Chancellor, Jai Prakash University, Chapra to submit his resignation on 02.12.2015 failing which it shall be deemed as stipulated U/s 11(3) of the Bihar State Universities Act, 1976 that the said Prof. Dwijendra K. Gupta has resigned from his post and the office of the Vice Chancellor, Jai Prakash University, Chapra shall be deemed to be vacant on a regular basis.

Rnkovind

(Ram Nath Kovind)
Chancellor
Jai Prakash University, Chhapra

Patna
Date:02.12.2015

Scanned by CamScanner

जय प्रकाश विश्वविद्यालय
राहुल सांकृत्यायन नगर, छपरा – 841301, बिहार (भारत)
JAI PRAKASH UNIVERSITY
RAHUL SANKRITYAYAN NAGAR, CHAPRA-841301, BIHAR (INDIA)
Tel.No.06152-233121(O) 233509(R) FAX- 06152-233507(O)

Letter No.- V.C. 539 537 Dated:- 09/12/2015

Office Order

In partial compliance of the letter no. JPU-27/2015-1607/रा०स०(1) dated 24.11.2015 of OSD (Judicial) Governor's Secretariat, Raj Bhawan, Patna the Hon'ble Vice-Chancellor has been pleased to remove Dr. Ravi Prakash 'Babloo' from the post of Registrar, J. P. University, Chapra relieving him from all the responsibilities such as CCDC and PRO of the University with the immediate effect. He is directed to join his parent organization R.B.G.R. College, Maharajganj, Siwan.

The Vice-Chancellor has also been pleased to appoint Prof. Ashok Kumar HOD P.G. Deptt. of Chemistry as Registrar, J. P. University for interim period till incumbent Registrar is appointed by the Hon'ble Chancellor.

By the order of the Hon'ble Vice-Chancellor

Sd/-
(S.A. Atta)
Controller of Exams.
& Registrar In Charge

Memo No. VC 537 ...... Dated- 09/12/2015

Copy forwarded to :

1. Dr. R. P. Babloo, the present Registrar, J.P.Univ,, Chapra
2. Prof. Ashok Kumar, HOD Deptt. of Chemistry, J.P. Univ., Chapra
3. Principal Secretary to the Governor of Bihar, Raj Bhawan, Patna.
4. Principal Secretary, HRD, Govt. of Bihar, Patna.
5. All the Officers of the University
6. All the Dean/Head (P.G. Deptt.) J.P.University, Chapra
7. All the Principals of J. P. University, Chapra.
8. P.A. to VC/Pro VC.

for information and necessary action.

9.12.15

Controller of Exams.
& Registrar In Charge

Doc1

Scanned by CamScanner

GOVT. OF BIHAR
Registration, Excise & Prohibition Deptt.
Gopalganj Score, Gopalganj
COURT FEE
Authorization No. 2810

भारत STAMP DUTY 00000 Rs. ₹ 0000005 20.5.2013 374144
INDIA Zero-Zero-Zero-Zero-Zero-Zero-Five
बिहार JUDICIAL BIHAR 9944 331864

न्यायालय में,

श्रीमान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,

गो0-जिला-गोपालगंज

परिवाद सं0- 1239 /2013.

==========================

निभा देवी जौजे संजय भगत [illegible] थाना बरौली

जिला गोपालगंज ------ परिवादिनी -

ब नाम

रविप्रकाश बब्लू वल्द ओमप्रकाश सिन्हा [illegible]

थाना बरौली जिला गोपालगंज --- अभियुक्त

अन्दर धारा:- 323,452,392,380,354, भा0 द0 वि0

घटना तिथि वो समय :- 18-5-2013 समय 10 बजे दिन।

नाम गवाहान :- (1) विकाश कुमार

(2) [illegible]

(3) [illegible]

अलावे और भी गवाहान है जो घटना देखे है

बात पर गवाही देंगे ।

Scanned by CamScanner

C-1239/13

Fir 4211/13

S.A.: निभा देवी W/o संजय
उम्र 45 वर्ष ग्रा. नेतराज देवीगंज
थाना चौली जि. गोपालगंज
पेशा गृहणी

घटना 9 दिन पहले दिन शनिवार समय
10.00 बजे दिनरात रामप्रसाद
उर्फ लल्लू मेरे दुकान के दुकान
प्रसाद लेने आया। 25 रुपये का
प्रसाद मांगा। मैं प्रसाद दे दी।
तो बोला कि इतना ही प्रसाद हुआ
तो मैं बोली कि इतना ही होता है।
इसी बात पर गाली देने लगा तो
मैं घर के अन्दर चली गयी।
तो मुझे झोटा पकड़ कर मारपीटे।
घसीट दिया कि दुकान हटवा देगा।

नालिश
=====

परिवादिनी श्रीमान से निम्नलिखित निवेदन करती

है :-

(1)- यह कि परिवादिनी के परिवार के [illegible] नकटी भवानी बेलरड़ परिसर मे प्रसाद का दुकान चलाता है तथा वहीं पर रहता है। कुछ लोग पूर्व मे दुकान हटाने वास्ते धमकी दिये थे जिसका सनहा परिवादिनी के पुत्र विकाश कुमार ने दिया था।

(2)- यह कि घटना तिथि व समय को अभियुक्त परिवादिनी के दुकान पर गया तथा 25 रुपये के प्रसाद को माग किया तो परिवादिनी ने रुपये लेकर प्रसाद दे दिया प्रसाद कम बताकर अभियुक्त परिवादिनी से गाली गलौज करने लगा इस पर परिवादिनी अन्दर चली गयी तो अभियुक्त घर के अन्दर प्रवेश कर गया तथा परिवादिनी का बाल पकड़कर पटक दिया तथा लात मुक्का से मारने लगा जिससे

नी

Scanned by CamScanner

मेरा लडका निरमाण नचाने
आया तो उसे भी मेरा
गवाह व म्हारा इशारा
जलगाति गिरागिरा प्रसाद
हिट हिरा तविया से भी से
तीन हवा लगत मौहल्ला गली
थी वह भी लेश चलेगा
थाना पुलिस से कैरवाई नही
हुई तो

मेरे गांव मे रविरा भुगताजी
नही मानते ही

27.5.17

20/5/13

परिवादनी जख्मी हो गयी और परिवादिनी का ~~फटक~~ कपड़ा फटने के वजह से अर्धनग्ना अवस्था मे हो गयी तथा लज्जित हुई।

(3)- यह कि अभियुक्त दुकान से [illegible] को [illegible] तथा दुकान के बिक्री का रुपया मु0-3750/-रुपया घर मे से निकाल लिया तथा भाग गया। दुकान के [illegible] का समान नष्ट हो गया।

(4)- यह कि इस घटना की सूचना परिवादनी थाना को दिया परन्तु थाना ने कोई कार्यवाही नही किया तो परिवादिनी यह नालिश आज दाखिल कर रही है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि अभियुक्त पर सम्मन कर उचित सजा देने की कृपा की जाय।

....

मै "परिवादीनी" निभा देवी यह नालिश लिखवायी छपवायी छपने के बाद तैयार होने पर पढ़ वो पढ़वाकर सुन वो समझी तथा सही पाकर अपनी ह0/ या नि0 बना दी। अ0गो0-

गोपालगंज

आज बता0:- 20.5.13

....

20.5.13

Schedule XLII-Form No (J) 12, Tr- 1327/15

FORM OF HEADING OF DEPOSITION

Re. Case No. 4695/ 2014 B/C

Deposition of witness No. PW-1 for the P[illegible]

aged about 45 take on solemn affirm on the 10 day of 9 20.15

My name [illegible]

I am son of [illegible]

My age is 40 years. I am by religion .... and I belong to

My nationality is ....

schedule caste/ schedule Tribe,

My home is at mauza [illegible] Police Station [illegible]

District [illegible]

I reside at present in Mauza .... Police station [illegible]

District [illegible] where I am [illegible]

साक्षी का शपथ पर मुख्य परीक्षण - B/C

घटना वर्ष चार माह पूर्व लगभग 10 बजे सुबह की है। 25 रु. का प्लास्टिक [illegible] रवि प्रकाश लिए थे आरोपी [illegible] उतना पैसा [illegible] वापस लाने पर दुकानवाली पैसा मांगी [illegible] कहे कि [illegible] तब पैसा देने से मना किए, [illegible] इसी बात पर [illegible] कपड़ा [illegible] दिए, लात मुक्का से मारे और [illegible] ... इन्होंने [illegible] ... 20 हजार का सामान नुकसान हुआ।

प्रति परीक्षण — बचाव पक्ष B/C

[illegible] रवि प्रकाश का [illegible] की का [illegible] है। [illegible] पर [illegible] है, और वर्तमान में [illegible] हैं। [illegible] हैं।

3. वैसजन्य है नाम्मो स्वामी मंदिर चार पाँच लग्गी है पश्चिम दिशा में है।

4. वहाँ दो तीन दुकान हैं। दो मिठाई और दो जनरल की है। दुकान कटरा में है। दो तीन सरकट की दुकान है।

5. घटना स्थल से उत्तर नन्हे और दुधनाथ का दुकान, दक्षिण संतोष पान व नारायन का दुकान पूरब में सरकारी जमीन है, पश्चिम में रोड है।

AB 10.9.15
जमा

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.
GOPALGANJ SCORE, GOPALGANJ
COURT FEE
Authorization No. 2632

भारत STAMP DUTY 00.000 बिहार JUDICIAL
INDIA ..Zero..Zero..Zero..Zero..Zero..Zero..Five...
BIHAR

न्यायालय में,

श्रीमान् मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी

मो0 गोपालगंज जिला गोपालगंज

सी0 वाद संख्या- 2136 /2013

नाम मुद्दई :- रीना देवी जौजे भोला यादव सा0- माधोपुर थाना- बरौली जिला गोपालगंज । उम्र 50 वर्ष

बनाम

नाम मुदालहम :-

1- रविन्द्र प्रसाद गुप्ता वल्द स्व0 जनार्दन प्रसाद गुप्ता उम्र- 45 वर्ष

2- राजेश यादव वल्द जगरनाथ यादव उम्र -40 वर्ष

3- बैधनाथ यादव वल्द हरिनन्दन यादव उम्र 55 वर्ष

सभी साकिनान मौजा माधोपुर थाना बरौली जिला गोपालगंज ।

4- रवि प्रकाश उर्फ बबलू वल्द ओम प्रकाश श्रीवास्तव उम्र -52 वर्ष

सा0 बेलसड़ थाना बरौली जिला गोपालगंज ।

नाम गवाहान :-

1- सनम कुमारी पुत्री भोला यादव

Scanned by CamScanner

3/10/13

2- पिटू कुमार वल्द भोला यादव

3- लक्ष्मी साह वल्द स्व0 नथुनी साह

4- हीरहर महतो वल्द गिरगिट महतो

सभी साकिनान मौजा माधोपुर थाना बरौली जिला गोपालगंज ।

घटना तिथि वो समय :- 14 सितम्बर 2011 से लगायत दिनांक-

3-10-2013 रोज वृहस्पतिवार तक ।

अन्तर्गत धारा- 323, 354, 367, 379/34 भा0 द0 वि0

मुदईया निम्नलिखित विनम्र निवेदन करती है :-

1- यह कि मुदईया एवं मुदईया के पति भोला यादव स्वम्

मुदालह सं0. 2 वो 3 आपस में पड़ोसी हैं ।

2- यह कि 14 सितम्बर 2011 को मुदालह संख्या 2 वो 3

मुदालह संख्या एक को अपने दरवाजे पर बुलाये वो तीनों मुदईया

के दरवाजे पर आये वो मुदईया तथा उसके पति से कहे कि हमलोग

तुम्हें 2000/- दो हजार रूपया का महीना देंगे, खाना, कपड़ा

अलग से देंगे । तुम यात्री होटल गोपालगंज में काम करोगे तथा

31/10/13

मुदालह संख्या एक भी जो अपने को यात्री होटल का प्रबंधक बतलाये वो कहे कि तनखाह हर महीना मिल जाएगा । इसपर विश्वास करके मुदईया के पति होटल में काम करने गोपालगंज आ गये ।

3- यह कि बिगत अगस्त 2013 के पहले हर माह का तनखाह मुदईया के पास पहुँच जाता था वो मुदईया भी कभी कभार होटल पर आकर अपने पति से मुलाकात कर जाती थीं ।

4- यह कि अगस्त 2013 का तनखाह मुदालहम मुदई को नहीं दिए तो मुदई यात्री होटल आयी वो आकर अपने पति से मुलाकात करने के लिए खोज किया लेकिन उनसे कहीं मुलाकात नहीं हुई तो पूछताछ किया तो मालूम हुआ मुदईया के पति को मुदालह संख्या 5 धार बुलाकर कहीं ले गये हैं । वे आ जाएँगे ।

5- यह कि मुदई ग्राम बेलसड़ गई तो वहां भी पता नहीं चला ।

6- यह कि मुदई कई बार गोपालगंज होटल यात्री आयी । अंत में 3-10-13 को सुबह होटल पहुँची तो मुदालह संख्या एक रविन्द्

प्रसाद मुदईया को गाली गलौज किये वो मुक्का - थप्पड़ से मारपीट किये वो मुदईया के नाक का सोने का कील कीमती मो0-1000/- एक हजार रू0 का छीन लिये वो कहे कि हम तुम्हारे पीत को नहीं जानते हैं ।

7- यह कि सभी मुदालहम एक राय वो एक जमात होकर मुदईया के पीत का जान मारने की नियत से अपहरण कर लिये हैं ।

अत: श्रीमान् से प्रार्थना है कि मुदालहम को आहूत कर उन्हें उनके अपराध के लिए उचित दण्ड दिया जाय ।

प्रार्थी (मुदई)
मी0 रीना देवी

मैं रीना देवी यह नालिस लिखवायी,छपवायी तथा छपने के बाद पढ़ वो पढ़वाकर सुन वो समझ ली तथा सही लिखा पाकर अपना ह0 या नि0 बना दी । मो0 गोपालगंज दिनांक 3/10/13

प्रार्थी (मुदई)
मी0 रीना देवी

3/10/13

अनुसूची 47, प्रपत्र सं०-118
आ० ह० प्रपत्र सं०-26 (नियम-143)

संख्या 135782

प्राथमिकी (F.I.R.)

(दं० प्र० सं० की धारा 154 के अधीन)

1. *जिला सारण *अनुमंडल सदर *थाना मुफस्सील *वर्ष 2015 *प्राथमिकी सं० 260/15 *तिथि 16/10/15
(Distt.) (S. Div.) (P.S.) (Yr.) (F.I.R. No.) (Date)

2. (I) *अधिनियम (Act) भा० द० वि० *धाराएँ *(Sections) 341/342/323/
504/506/34
(II) *अधिनियम (Act) × *धाराएँ *(Sections)
(III) *अधिनियम (Act) × *धाराएँ *(Sections) ×
(IV) *अन्य अधिनियम एवं धाराएँ (Other Acts and Sections)

3. (क) *अपराध की घटना विदित *दिन अंकित नहीं *तिथि से 16/10/15 *तिथि तक
(Occurance of offence) (Day) (Date from) (Date to)
*समयावधि (पहर) दूसरा *बजे से 4:00 अपराह्न बजे तक
(Time period) (Time from) (Time to)
(ख) थाना में प्राप्त सूचना तिथि 16/10/15 समय 17:00 बजे
(ग) प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि 16/10/15 समय 17:00 बजे
(घ) थाना दैनिकी संदर्भ-प्रविष्टी सं० समय 17:00 बजे

4. सूचना का प्रकार (Type of information) *लिखित/मौखिक (Written/Oral)

5. घटनास्थल - (क) थाना से दिशा एवं दूरी पूरब 2 K.M. गश्त सं० VIII
(ख) *पता (Address) ग्राम राय प्रकाश सिंह विद्यालय द्वारा थाना -
मुफस्सील जिला सारण
जिला
(ग) थाना की सीमा से बाहर होने की दशा में थाना का नाम

6. परिवादी/सूचना दाता :
(क) नाम राज किशोर प्र० सिंह
(ख) पिता/पति का नाम स्व० रघुनाथ प्र० सिंह
(घ) राष्ट्रीयता भारतीय
(ग) जन्म-तिथि निर्गम स्थान
(ङ.) पारपत्र सं० निर्गम तिथि
(च) पेशा नौकरी
(छ) पता ग्राम आनन्दी पुर्वी at at गंज थाना सदर मुजफ्फरपुर
वर्तमान वित पदाधिकारी जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा जिला सारण

Scanned by CamScanner

अनुसूची 47, प्रपत्र सं०-118

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का विवरण (यदि आवश्यक हो तो अलग से पन्ना लगाएं)

① लगभग 15-20 आदमी अज्ञात

संदिग्ध व्यक्ति की शारीरिक विशेषताएँ, विरूपता तथा अन्य विवरण :-

*लिंग (Sex)	*जन्मतिथि (तिथि/मास/वर्ष) Date of Birth (Date/Month/Year)	*शारीरिक गठन (Build)	*ऊँचाई सें० मी० में (Height in Cms)	*वर्ण (Complexion)	*पहचान चिह्न (Identification mark)
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

*विरूपता/विलक्षणता (Deformities/ peculiarities)	*दांत (Teeth)	*बाल (Hair)	*आँख (Eye)	*आदतें (Habits)	पहनावा (Dress Habits)
7	8	9	10	11	12
—	—	—	—	—	—

*भाषा/बोली (Language/ Dialect)	*जले का निशान (Burn Mark)	*श्वेत कुष्ठ (Leucoderma)	*तिल (Mole)	*जख्म चिह्न (Scar)	*गोदना (Tattoo)
13	14	15	16	17	18
—	—	—	—	—	—

यदि [illegible] इत्तिला देने वाले/[illegible] व्यक्ति द्वारा संदिग्ध व्यक्ति के संबंध में कोई एक या अधिक विशिष्टताएं दी जाएं तभी इन स्तंभों में प्रविष्टियाँ की जाएंगी। इसका उपयोग अनुसन्धानक के सहायतार्थ केवल प्रारंभिक सुधार के प्रयोजन से ही किया जाएगा।

इस प्रकार बनाए गए आंकड़े बाद में किसी संदिग्ध व्यक्ति को विभिन्न मामलों, यदि कोई हो, से जोड़ेगा। जब कोई अभियुक्त गिरफ्तार किया जाए तब पूर्व-संदेह पर विचार के किए बिना सभी बातों से संबंधित व्यापक और पूर्ण आंकड़े पुनः तैयार किए जाएं।

६४८।.—

Scanned by CamScanner

सेवा में,
थाना प्रभारी (थानाध्यक्ष)
- मुफस्सिल थाना छपरा

विषय :- कुछ अज्ञात लोगो के द्वारा विश्वविद्यालय कार्यालय में धक्का-मुक्की गाली गलौज गुंडा गर्दी के सम्बन्ध मे ।

महाशय,
निवेदन पूर्वक कहना है कि आज दिनांक 16-10-2015 को अपराह्न 4 बजे जब मैं विश्वविद्यालय के साथ कुछ संचिकाओं पर विचार विमर्श कर रहा था उसी समय अपने को राजेन्द्र कॉलेज जयप्रकाश महिला कॉलेज एवं गंगा सिंह कॉलेज के सामंजित कर्मचारी बताते हुए लगभग 15-20 आदमी कक्ष मे प्रवेश किये । मेरे साथ गाली गलौज एवं धक्का मुक्की करने लगे । पुछने पर किसी ने अनुचित जबाव नही दिया और घसीटते हुए सीधे ले जाकर कुलपति कक्ष तक ले गये । वहा पर कुलसचिव भी उपस्थित थे । जब मैंने सारी बाते बताई तब कुलपति एवं कुलसचिव बोल पड़े कि ए लोग सामंजित कर्मचारी है और इनका भुगतान नही हो रहा है इसीलिए ये लोग मार पीट पर अमादा है । वहा भी इन व्यक्तियों ने उनके मनोनुकुल भुगतान की अनुशंसा नहीं किये जाने पर जान से मारने की धमकी दी और दो तीन आदमी के हाथ में अवैध अस्त्र जिसे दिखाकर मुझे धमकाया गया । इन लोगों का भुगतान मान्य है या नहीं यह किसी की जांच समिति का मुद्दा है - यह बताने पर ये लोग वहा भी गाली गलौज करने लगे और अस्त्र दिखा कर धमकी देने लगे ।
श्रीमान् से निवेदन है कि मैं हृदय रोग से पिड़ीत हु जिस कारण किसी घटना

Registered MU Stn. P.S. Case no. 360/15 dt. 16.10.15 U/s 341/342/323/504/506/34 IPC. S.I. Prashant Kumar will do investigate this case.
16.10.15

तेज चलना, तेज बोलना, मुड़ना आदि चिकित्सक के परामर्श से वर्जित है।

पुनः निवेदन है कि इस सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही नहीं होने पर ये लोग किसी भी समय आपराधिक वारदात कर गुजरने से बाज नहीं आयेंगे। उन लोगों लोगों ने कुलपति एवं कुलसचिव के समक्ष यह भी घोषणा की कि जबतक पूर्ण (भुगतान नहीं होने पर (मनोवांछित भुगतान) जिन्दा नहीं बचेंगे। इस पर दोनों वरीय पदाधिकारियों का मूक समर्थन महसूस किया गया।

निवेदन है कि विश्वविद्यालय में सुरक्षा के निमित्त पुरुषोत्तम S.I.S गार्ड रखे गये हैं जिन लोगों के द्वारा सुरक्षा एवं रोक थाम की कोई कारवाई नहीं की गई क्योंकि ये लोग वरीय पदाधिकारियों के द्वारा पोषित हैं और इनके भुगतान पर लगभग 500000 (पाँच लाख) से अधिक की राशि का अपव्यय हो रहा है।

श्रीमान् से निवेदन है कि मुझे सुरक्षा प्रदान करते हुए कानूनी करवाई अविलम्ब सुनिश्चित की जाय।

इसके लिए मैं श्रीमान् का आभारी रहूँगा।

आपका
विश्वासी

16/10/2015

(राजकिशोर प्र० सिन्हा)
वित्त पदाधिकारी
जयप्रकाश वि० वि० छपरा

राजकिशोर प्र० सिन्हा (60 वर्ष)
पुत्र - स्व रघुनाथ प्र० सिंह
ग्राम - आनन्दपुरी
पी० बी० प्रेस
थाना - सदर मुजफ्फरपुर
8676025989

प्रपत्र सं०-118 (1)

वादि का लिखीत आवेदन जो इस कांड का मूल आधार है का मूल प्रति मूल के साथ एवं छाया प्रति अन्य के साथ संलग्न है।

ब्रज भूषण सिंह
16/10/15
पु० अ० नि०
छपरा मुफस्सिल थाना

गयी कार्रवाई : चूँकि उपर्युक्त सूचना से मद सं० 2 में उल्लिखित धाराओं के अन्तर्गत अपराध किया जाना प्रकट होता है अत: कांड दर्ज किया गया एवं अनुसंधान प्रारम्भ किया ...... प्रशान्त कुमार ...... पदनाम ...... पु० अ० नि० ...... को अनुसंधान करने का निदेश दिया/अनुसंधान करने से इन्कार किया, अधिकारिता के प्रश्न पर ...... थाना को अन्तरित किया गया। प्राथमिकी परिवादी/सूचनादाता को पढ़कर सुनायी गयी। उसने उसे सही रूप में अभिलिखित किया गया, पाकर स्वीकार किया और उसकी एक प्रति परिवादी/सूचनादाता को नि:शुल्क दी गयी। (Action taken : Since the above report reveals commission of offence (s) u/s as mentioned at Item No.. 2 registered the case and took up the investigation / directed ...... Rank ...... to take up the investigation.)

परिवादी/सूचना दाता का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान।

न्यायालय में प्रेषण की तिथि एवं समय -

ब्रज भूषण सिंह
16/10/15
थाना प्रभारी का हस्ताक्षर

नाम (Name) ब्रज भूषण सिंह ......

पदनाम (Designation) ...... पु० अ० नि० ......
छपरा मुफस्सिल थाना

Scanned by CamScanner

8. परिवादी/सूचना दाता द्वारा सूचना देने में हुए विलंब का कारण : ....

....

....

9. चुरायी गई/अन्तर्ग्रस्त/बरामद सम्पत्तियों के ब्योरे (यदि आवश्यक हो तो अलग से पन्ना लगायें)

....

....

....

10. *चुराई गयी/अन्तर्ग्रस्त/बरामद सम्पत्तियों का कुल मूल्य (Total Value of properties stolen/involved/recovered) ....

....

11. अस्वाभाविक मृत्यु कांड सं०, यदि हो तो (U. D. Case No., if any) ....

....

12. प्राथमिकी की अन्तर्वस्तु (अलग से पन्ना लगायें, यदि आवश्यक हो)

जारी

प्रपत्र सं०-11
नियम-145

संख्या 170069

प्राथमिकी (F.I.R.)

(दं० प्र० सं० की धारा 154 के अधीन)

अनुमंडल सदर *थाना मुफस्सिल *वर्ष 2015 *प्राथमिकी सं० 346/15 *तिथि 31/12/15
(S. Div.) (P.S.) (Yr.) (F.I.R. No.) (Date)

अधिनियम (Act) भा० द० वि० *धाराएँ *(Sections) 420/409/120(B)34

अधिनियम (Act) × *धाराएँ *(Sections) 34

अधिनियम (Act) × *धाराएँ *(Sections) ×

अन्य अधिनियम एवं धाराएँ (Other Acts and Sections)

अपराध की घटना धोखाधड़ी *दिन अंकित नहीं *तिथि से अंकित नहीं *तिथि तक
Occurance of offence (Day) (Date from) (Date to)

समय (पहर) अंकित नहीं *बजे से अंकित नहीं *बजे तक
Time period (Time from) (Time to)

(ख) थाने में प्राप्त सूचना तिथि 31/12/15 समय 15.00 बजे

(ग) प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि 31/12/15 समय 15.00 बजे

(घ) थाना दैनिकी संदर्भ-प्रविष्टी सं० समय 15.00 बजे

सूचना का प्रकार (Type of information) लिखित/मौखिक (Written/Oral)

घटनास्थल - (क) थाना से दिशा एवं दूरी पश्चिम उत्तर 1/2 K.M. गश्त सं० VIII

(ख) पता (Address) ग्राम जे० पी० विश्वविद्यालय थाना छपरा मुफस्सिल
जिला सारण
जिला

(ग) थाना की सीमा से बाहर होने की दशा में थाना का नाम

परिवादी/सूचना दाता :
(क) नाम प्रो० [illegible] (कुलानुशासक जयप्रकाश विश्वविद्यालय

(ख) पिता/पति का नाम (घ) राष्ट्रीयता भारतीय

(ग) जन्म-तिथि निर्गम स्थान
निर्गम तिथि

(ङ.) पारपत्र सं०

(च) पेशा

(छ) पता जे० पी० विश्वविद्यालय छपरा थाना छपरा मुफस्सिल
जिला सारण

GOVT. OF BIHAR
Registration & Amendment Dept.
[illegible] Court, Chapra
COURT FEE
[illegible] No. 2294
INDIA
00000
5000010 -5.1.2016
JUDICIAL
BIHAR
4595 9424

अनुसूची 47, प्रपत्र सं० 118 (2)

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का विवरण (यदि आवश्यक हो तो अलग से पन्ना लगाएं)

(1) पूर्व प्राण पति (2) पूर्व रजनीता (3) पूर्व सहायक शुक्ला [illegible]
(4) पूर्व सहायक, राजीव [illegible]

संदिग्ध व्यक्ति की शारीरिक विशेषताएँ, विरूपता तथा अन्य विवरण :-

*लिंग (Sex)	*जन्मतिथि (तिथि/मास/वर्ष) Date of Birth (Date/Month/Year)	*शारीरिक गठन (Build)	*ऊँचाई से० मी० में (Height in Cms)	*वर्ण (Complexion)	*पहचान चिन्ह (Identification mark)
1	2	3	4	5	6

*विरूपता/विलक्षणता (Deformities/ peculiarities)	*दांत (Teeth)	*बाल (Hair)	*आँख (Eye)	*आदतें (Habits)	*पहनावा (Dress Habit)
7	8	9	10	11	12

*भाषा/बोली (Language/ Dialect)	*जले का निशान (Burn Mark)	*श्वेत कुष्ठ (Leucoderma)	*तिल (Mole)	*जख्म चिह्न (Scar)	*गोदना (Tattoo)
13	14	15	16	17	18

यदि परिवादी/इत्तिला देने वाले/पीड़ित व्यक्ति द्वारा संदिग्ध व्यक्ति के संबंध में कोई एक या अधिक विशिष्टताएं [illegible] प्रविष्टियां की जाएंगी। इसका उपयोग अनुसन्धानक के सहायतार्थ केवल प्रारंभिक सुधार के प्रयोजन से ही किया जाएगा।

इस प्रकार बनाए गए आंकड़े बाद में किसी संदिग्ध व्यक्ति को विभिन्न मामलों, यदि कोई हो, से जोड़ेंगे।

जब कोई अभियुक्त गिरफ्तार किया जाए तब पूर्व-संदेह पर विचार के किए बिना सभी खानों से संशोधित स्थायी और पूर्ण [illegible] किया जाएगा।

थानाध्यक्ष महोदय,
मुफस्सिल थाना, छपरा।

विषय:- जे0पी0 विश्वविद्यालय, छपरा के प्रशासनिक भवन के कुलपति कोषांग व वित्त शाखा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मूल संचिकायें (जो पूर्व में सादी उत्तर पुस्तिका घोटाले से संबंधित निगरानी विभाग द्वारा दर्ज केस नं0– 10/2015 से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य था) के गायब होने के संबंध में।

महाशय,

निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में विश्वविद्यालय परिसर स्थित प्रशासनिक भवन वित्त शाखा, परीक्षा विभाग एवं कुलसचिव कोषांग से कई महत्वपूर्ण संचिकायें गायब है जो कि निगरानी विभाग द्वारा पूर्व मे दर्ज प्राथमिकी सं0–10/2015 से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य हैं, जो अभी तक लापता है। इस संबंध में कुलपति कोषांग के पूर्व सहायक मुन्ना कुमार एवं राजीव नारायण प्रसाद से भी पूछताछ किया गया, लेकिन वे इस संबंध में अनभिज्ञता जताए। उपरोक्त गायब सभी मूल संचिकाएँ निगरानी विभाग द्वारा दर्ज सादी उत्तर–पुस्तिका घोटाले मामले से संबंधित मूल दस्तावेजी साक्ष्य हैं तथा उक्त मोकदमे के संदर्भ में माननीय राजभवन के आदेशानुसार पूर्व कुलपति व पूर्व रजिस्ट्रार व अन्य लोगों के विरूद्ध पदमुक्ति व निलम्बन की कारवाई की जा चुकी है तथा निगरानी केस में प्राथमिकी अभियुक्त होने के बावजूद भी पूर्व पी0वी0सी0 व पूर्व रजिस्ट्रार अपने पद पर काफी दिनों तक बने रहे। अतः उपरोक्त परिस्थिति व तथ्यो के संदर्भ में ऐसा प्रतीत होता है कि निगरानी केस के कुछ महत्वपूर्ण नामजद अभियुक्तों द्वारा उक्त संचिकाओं को निगरानी केस में साक्ष्य नष्ट करने हेतु पूर्ण आपराधिक साजिश के तहत अपने पद, प्रभाव व गरिमा का दुरूपयोग करते हुए व चीटिंग, फोर्जरी व अमानत में खयानत के नीयत से व निगरानी केस से बचने हेतु, गायब किया व कराया गया है व सुनियोजित अपराध को कारित किया गया है।

अतः निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में अविलम्ब प्राथमिकी दर्ज करते हुए अपने स्तर से उचित कानूनी कार्रवाई किया जाय व उपरोक्त गायब किये गए मूल संचिकाओं को तत्काल प्रभाव से यथाशीघ्र बरामद किया जाय ताकि निगरानी विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जा सके।

माननीय कुलपति के आदेश से

प्रार्थी

(प्रो0 उमाशंकर यादव)
कुलानुशासक
जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा

प्रतिलिपि प्रेषितः–
1. प्रधान सचिव, राज्यपाल–सह–कुलाधिपति, बिहार पटना
2. पुलिस अधीक्षक–सह– अनुसंधानकर्ता, निगरानी कांड संख्या–10/2015, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना

GOVT. OF BIHAR
COURT FEE
भारत INDIA
बिहार JUDICIAL BIHAR
4596 972961 7

Scanned by CamScanner

22.12.15

$\frac{9}{27-1-16}$

(4)

प्र.सू.र.प.-118

वादि का लिखित आवेदन जो इस काण्ड का मूल आधार है का मूल प्रति मूल के साथ एवं छाया प्रति अन्य के साथ संलग्न है।

21/12/15
पु० अ० नि० थानाध्यक्ष
छपरा मुफस्सिल थाना

कार्रवाई : चूँकि उपर्युक्त सूचना में मद सं० 2 में उल्लिखित धाराओं के अन्तर्गत अपराध किया जाना प्रकट होता है अत: काड दर्ज
ा एवं अनुसंधान प्रारम्भ किया .... पदनाम .... को
.... थाना को
करने का निर्देश दिया/अनुसंधान करने से इन्कार किया/ अधिकारिता के प्रश्न पर
ग्या गया। प्राथमिकी परिवादी/सूचनादाता को पढ़कर सुनायी गयी। उसने उसे सही रूप में अभिलिखित किया गया, पाकर स्वीकार
: उसकी एक प्रति परिवादी/सूचनादाता को निःशुल्क दी गयी। (Action taken : Since the above report reveals
ion of offence (s) u/s as mentioned at Item No.. 2 registered the case and took up the investigation /
.... Rank .... to take up the investigation.)

ना दाता का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान

ालय में प्रेषण की तिथि एवं समय -

5-1-16

5-1-16

थाना प्रभारी का हस्ताक्षर

नाम (Name) ....

पदनाम (Designation) ....

छपरा मुफस्सिल

12-1-15

Scanned by CamScanner

C7.1/L

(3)

परिवादी/सूचक द्वारा सूचना देने में हुए विलंब का कारण : ....

....

चुराई गई/अन्तर्ग्रस्त/बरामद सम्पत्तियों के ब्योरे (यदि आवश्यक हो तो अलग से पन्ना लगायें) :

....

चुराई गई/अन्तर्ग्रस्त/बरामद सम्पत्तियों का कुल मूल्य (Total Value of properties stolen/involved/recovered) ....

अस्वाभाविक मृत्यु कांड सं०, यदि हो तो (U. D. Case No., if any) ....

प्रथम सूचना की अन्तर्वस्तु (अलग से पन्ना लगायें, यदि आवश्यक हो)

COPYING DEPT. CIVIL COURT SARAN

GOVT. OF BIHAR
Registration Excise & Prohibition Deptt.
Saran Sadar, Chapra
COURT FEE
Authorization No. 2294
भारत INDIA
Rs.≈0000005≈
BIHAR
Zero-Zero-Zero-Zero-Zero-Zero-Five
बिहार JUDICIAL
.5.1.2016
4597 9930598

Scanned by CamScanner

प्रपत्र सं०-26 (नियम-14)

संख्या 170070

प्राथमिकी (F.I.R.)

(दं० प्र० सं० की धारा 154 के अधीन)

अनुमंडल .... थाना .... वर्ष 2015 .... प्राथमिकी सं० .... तिथि 31/12/15

(S. Div.) (P.S.) (Yr.) (F.I.R. No.) (Date)

(i) अधिनियम (Act) .... भा० द० वि० .... धाराएँ (Sections) 420/467/34

(ii) अधिनियम (Act) .... धाराएँ (Sections) ....

(iii) अधिनियम (Act) .... धाराएँ (Sections) ....

(iv) अन्य अधिनियम एवं धाराएँ (Other Acts and Sections) ....

(क) अपराध की घटना .... दिन अज्ञात .... तिथि से .... अज्ञात .... तिथि तक

(Occurrence of offence) (Day) (Date from) (Date to)

समयावधि (पहर) .... अज्ञात .... बजे से .... अज्ञात .... बजे तक

(Time period) (Time from) (Time to)

(ख) थाना में प्राप्त सूचना तिथि .... 31/12/15 .... समय .... 15:00 बजे

(ग) प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि .... 31/12/15 .... समय .... 15:00 बजे

(घ) थाना दैनिकी संदर्भ-प्रविष्टि सं० .... समय .... 15:00 बजे

4. सूचना का प्रकार (Type of information) लिखित/मौखिक (Written/Oral) .... गश्त सं० ....

5. घटनास्थल - (क) थाना से दिशा एवं दूरी .... [illegible] .... थाना [illegible]

(ख) पता (Address) .... [illegible] .... छपरा .... जिला ....

(ग) थाना की सीमा से बाहर होने की दशा में थाने का नाम ....

6. परिवादी/सूचना दाता :

(क) नाम .... राजा किशोर प्रसाद सिंह (प्रखंड [illegible] पदाधिकारी)

(ख) पिता/पति का नाम .... [illegible] प्र० सिंह

(ग) जन्म-तिथि .... (घ) राष्ट्रीयता .... भारतीय

(ङ) पासपोर्ट सं० .... निर्गत तिथि .... निर्गम स्थान ....

(च) पेशा ....

(छ) पता .... [illegible] जिला मुजफ्फरपुर वर्तमान [illegible] जिला छपरा

GOVT. OF BIHAR
COURT FEE
भारत INDIA
STAMP DUTY
JUDICIAL
BIHAR 2016
4600 081506

Scanned by CamScanner

सूची 47, अनुसूची 47, प्रपत्र सं०-118

(2)

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का विवरण (यदि आवश्यक हो तो अलग से पत्र लगाएं)

(1) निवर्तमान कुलपति प्रो० जितेन्द्र गुप्ता (2) प्रो० आर०पी० ... तत्कालीन कुलसचिव निजभवन पश्चात पदस्थापित ... प्रकोष्ठ औरंगा

संदिग्ध व्यक्ति की शारीरिक विशेषताएँ, विरूपता तथा अन्य विवरण :-

*लिंग (Sex)	*जन्मतिथि (तिथि/मास/वर्ष) Date of Birth (Date/Month/Year)	*शारीरिक गठन (Build)	*ऊँचाई से० मी० में (Height in Cms)	*वर्ण (Complexion)	*पहचान चिह्न (Identification mark)
1	2	3	4	5	6

*विरूपता/विलक्षणता (Deformities/peculiarities)	*दांत (Teeth)	*बाल (Hair)	*आँख (Eye)	*आदतें (Habits)	*पहनावा (Dress Habit)
7	8	9	10	11	12

*भाषा/बोली (Language/Dialect)	*जले का निशान (Burn Mark)	*श्वेत कुष्ट (Leucoderma)	*तिल (Mole)	*जख्म चिह्न (Scar)	*गोदना (Tattoo)
13	14	15	16	17	18

सत्यमेव जयते

यदि परिवादी/इत्तिला देने वाले/पीड़ित व्यक्ति द्वारा संदिग्ध व्यक्ति के संबंध में कोई एक या अधिक विशिष्टताएं दी जाएं ... प्रविष्टियाँ की जाएंगी। इसका उपयोग अनुसन्धानक के सहायतार्थ केवल प्रारंभिक सुधार के प्रयोजन में ही किया जाएगा।

इस प्रकार बनाए गए आंकड़े बाद में किसी संदिग्ध व्यक्ति को विभिन्न मामलों, यदि कोई हो, से जोड़ेगा।

जब कोई अभियुक्त गिरफ्तार किया जाए तब पूर्व-संदेह पर विचार के किए बिना सभी बातों में ... किए जाएंगे।

Scanned by CamScanner

थानाध्यक्ष महोदय,
मुफस्सिल थाना, छपरा।

विषय:-- विश्वविद्यालय कार्यालय से निगरानी थाना काण्ड संख्या-- 10/2015 से संबंधित आवश्यक मूल अभिलेख/प्रदर्श/प्रमाणक उपलब्ध नहीं होने के संबंध में।

संदर्भ :-- कुलसचिव द्वारा प्रदत्त मार्ग निर्देश एवं निगरानी अधीक्षक के पत्रांक 346/अ0क0 दिनांक 30.12.2015।

महाशय,

निवेदन है कि मैंने जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा में वित्त पदाधिकारी के पद पर महामहिम कुलाधिपति के आदेश से स्थानांतरित होकर दिनांक 30.05.2015 को योगदान किया था।

मेरे योगदान के उपरान्त वित्त समिति, क्रय समिति (जिसका मैं पदेन सदस्य सचिव हूँ) की संचिकायें, कार्यवृत्त की पुस्तिका एवं तत्संबंधी आवश्यक अभिलेख की मांग मैं करता रहा हूँ। निगरानी काण्ड संख्या--10/2015 में पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के पत्रांक 345/अ0क0 दिनांक 22.12.2015 के द्वारा मूल अभिलेख की मांग करने के उपरान्त मैंने कार्यालय कर्मियों से संबंधित अभिलेख की मांग की।

वित्त समिति की एक संचिका जिसमें 09.07.2015 को बैठक आहूत करने का कुलपति के आदेश के उपरान्त कार्रवाई पूरी नहीं की गयी (सिर्फ सूचना प्रकाशन के अतिरिक्त) कार्यवृत्त का मूल अभिलेख अद्यतन अप्राप्त है। टंकित प्रतियों में किसी सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार क्रय--विक्रय समिति से संबंधित कोई अभिलेख मुझे देखने को नहीं मिला है।

ज्ञातव्य हो कि वर्ष 2015--2016 के वाउचर के गार्ड फाईल या सादी उत्तर-पुस्तिका अथवा OMR Sheet के क्रय/आपूर्ति से संबंधित कोई भी अभिलेख तत्काल लगभग एक सप्ताह तक तलाशी करने के बाद भी प्राप्त नहीं हो पाया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि निवर्तमान कुलपति डॉ0 द्विजेन्द्र गुप्ता, तथा डॉ0 आर0 पी0 बबलू--तत्कालीन कुलसचिव, निलम्बन पश्चात् पदस्थापित एच0 आर0 कॉलेज, मैरवा जो निगरानी काण्ड संख्या 10/2015 में क्रमशः अभियुक्त एवं सह अभियुक्त बनाये गये हैं, के द्वारा जमानत प्राप्त होने के बाद ऐसे सारे आवश्यक मूल अभिलेख गायब कर दिये गये हैं जिनकी आवश्यकता एवं उपयोगिता वाद की सुनवाई के दौरान होनी है।

GOVT. OF BIHAR
Registration & Excise Department
Saran Score Chapra
COURT FEE
Authorization No. 2284
भारत INDIA
STAMP DUTY
न्यायिक JUDICIAL
बिहार BIHAR
375272
5.1.2016
4601 0116773

Scanned by CamScanner

निवेदनपूर्वक सूचित करना है कि इस संबंध में माननीय कुलपति का आदेश प्राप्त है। अतः इस काण्ड की प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाय ताकि मूल अभिलेख प्राप्त कर ससमय निगरानी विभाग को उपलब्ध कराये जा सकें।

प्रार्थी

(राज किशोर प्रसाद सिंह)
वित्त पदाधिकारी
जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा
मो० सं०–8676025989

पिता का नाम–स्व० रघुनाथ प्रसाद सिंह
मो०–आनन्दपुरी, बीबीगंज,
थाना–सदर, जिला–मुजफ्फरपुर

प्रतिलिपि प्रेषितः–

1. प्रधान सचिव, राज्यपाल–सह–कुलाधिपति, बिहार पटना।
2. पुलिस अधीक्षक–सह–अनुसंधानकर्ता, निगरानी कांड संख्या–10/2016, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना।

COMPUTING DEPT. CIVIL COURT SARAN

GOVT. OF BIHAR
Saran Score, Chapra
COURT FEE
Authorization No. 2294
भारत STAMP DUTY बिहार JUDICIAL
Rs.≈000005≈ 5.1.2016
INDIA 375272 BIHAR
4602 B317754

Scanned by CamScanner

सूचना देने वाले द्वारा सूचना देने में हुए विलंब का कारण : ....

....

....

चुराई गई/अन्तर्ग्रस्त सम्पत्तियों के ब्योरे (यदि आवश्यक हो तो अलग से पन्ना लगायें :

....

....

....

10. चुराई गयी/अन्तर्ग्रस्त/बरामद सम्पत्तियों का कुल मूल्य (Total Value of properties stolen/involved/recovered) ....

....

11. अस्वाभाविक मृत्यु कांड सं०, यदि हो तो (U. D. Case No., if any) ....

....

12. प्राथमिकी की अन्तर्वस्तु (अलग से पन्ना लगायें, यदि आवश्यक हो)

SCANNING DEPT. CIVIL COURT SARAN

GOVT. OF BIHAR
Registration Excise & Prohibition Dept.
Saran Sadar Chapra
COURT FEE
Authorization No. 2094
भारत INDIA
STAMP DUTY
बिहार JUDICIAL
Rs. 00005 5.1.2016 BIHAR
Zero-Zero-Zero-Zero-Five
4603 8519735

सूची 47, प्रपत्र सं०-118

वादि का लिखित आवेदन जो इस थाना का मूल आधार है का मूल प्रति प्राथि के साथ एवं थाना प्रति अन्य के साथ संलग्न है।

की गयी कार्रवाई : चूँकि उपर्युक्त सूचना मद सं० 2 में उल्लिखित धाराओं के अन्तर्गत अपराध किया जाना प्रकट होता है अत: कांड दर्ज किया गया एवं अनुसंधान प्रारम्भ किया .... पदनाम .... का अनुसंधान करने का निर्देश दिया/अनुसंधान करने से इन्कार किया/ अधिकारिता के प्रश्न पर .... थाना को अंतरित किया गया। प्राथमिकी परिवादी/सूचनादाता को पढ़कर सुनायी गयी। उसने उसे सही रूप में अभिलिखित किया गया, पाकर स्वीकार किया और उसकी एक प्रति परिवादी/सूचनादाता को नि:शुल्क दी गयी। (Action taken : Since the above report reveals commission of offence (s) u/s as mentioned at Item No,. 2 registered the case and took up the investigation / directed* .... Rank .... to take up the investigation.)

परिवादी/सूचना दाता का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान।

थाना से न्यायालय में प्रेषण की तिथि एवं समय -

थाना प्रभारी का हस्ताक्षर

नाम (Name) ....

पदनाम (Designation) ....

2-1-16 | — | 2-1-16 | 5-1-16 | 5-1-16

Scanned by CamScanner